केवल कार्यालय उपयोग हेतु

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2017

निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण हेतु निर्देश पुस्तिका

राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश
पी0सी0एफ0 भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ।

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2017

निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण हेतु निर्देश पुस्तिका

राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश
पी0सी0एफ0 भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ।

fo"k; lwph

iLrkouk

v/;k;	fo"k;	i"B la[;k
1.	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के दायित्व	3–8
2.	निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण हेतु प्रचार प्रसार	9–10
3.	निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण हेतु व्यवस्था तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण	11–14
4.	बी0एल0ओ0 द्वारा गणना कार्डों में निर्धारित प्रविष्टियाँ दर्ज करना	15–21
5.	निर्वाचक गणना कार्ड के आधार पर पाण्डुलिपियाँ तैयार करना	22
6.	पाण्डुलिपि के कम्प्यूटरीकण की कार्यवाही	23–24
7.	दावे एवं आपत्तियाँ दाखिल करना तथा उनका निस्तारण	25–27
8.	निर्वाचक नामावलियों का कम्प्यूटरीकरण	28–37
9.	अन्तिम पूरक सूचियों की तैयारी और उन्हें निर्वाचक नामावलियों की मूल सूचियों में समाहित करते हुए उनका कम्प्यूटरीकरण किया जाना	38
10.	निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन	39
11.	निर्वाचक नामावलियों की अभिरक्षा एवं परिरक्षण	40

ifjf'k"V

Ø0 l0	ifjf'k"Vk dk fooj.k	fo"k;	i"B l[;k
1.	परिशिष्ट–1	उत्तर प्रदेशनगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994	41–59
2.	परिशिष्ट–2	उत्तर प्रदेशनगर पालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994	60–78
3.	परिशिष्ट–3	नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों के वृहद् पुनरीक्षण हेतु सार्वजनिक सूचना	79–80
4.	परिशिष्ट–4	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का नियुक्ति आदेश	81
5.	परिशिष्ट–5	वृहद् पुनरीक्षण में बी0एल0ओ0 / पर्यवेक्षक / सेक्टर आफिसर के नियुक्ति सम्बन्धी रजिस्ट्रीकरण पत्र	82–83
6.	परिशिष्ट–6	बी0एल0ओ0 / पर्यवेक्षक / सेक्टर ऑफिसर का नियुक्ति आदेश व परिचय–पत्र	84
7.	परिशिष्ट–7	निर्वाचक गणना कार्ड (खण्ड–क)	85
8.	परिशिष्ट–7क	निर्वाचक गणना कार्ड (खण्ड–ख)	86
9.	परिशिष्ट–7ख	विद्यमान निर्वाचकों के मोबाइल नं0 एवं आधार कार्ड नं0	87
10.	परिशिष्ट–8	बी0एल0ओ0 को दिए जाने वाले सामान्य अनुदेश	88–95

11.	परिशिष्ट–9	पुनरीक्षण कार्य पूर्ण होने पर बी0एल0ओ0 द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र	96–97
12.	परिशिष्ट–10	पर्यवेक्षक द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र	98
13.	परिशिष्ट–11	सेक्टर ऑफिसर द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र	99
14.	परिशिष्ट–12	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र	100
15.	परिशिष्ट–13	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र	101
16.	परिशिष्ट–14	निर्वाचक नामावली से किसी व्यक्ति का नाम निकालने संबंधी आपत्ति की सुनवाई हेतु नोटिस	102
17.	परिशिष्ट–15	नाम सम्मिलित किये जाने के लिये दावा/आवेदनपत्र	103–104
18.	परिशिष्ट–16	किसी प्रविष्टि में दिए गए ब्यौरे पर आपत्ति	105
19.	परिशिष्ट–17	नाम रखने पर आपत्ति	106–107
20.	परिशिष्ट–18	परिवर्धन सूची	108
21.	परिशिष्ट–19	संशोधन सूची	109
22.	परिशिष्ट–20	विलोपन सूची	110
23.	परिशिष्ट–21	नये मकानों/छूटे हुये मकानों में साधारण रूप से निवास कर रहे अर्ह निर्वाचकों की परिवर्धन सूची (खण्ड–ख)	111

24.	परिशिष्ट–22	अनन्तिम नगरीय निकाय निर्वाचक नामावली वर्ष, 2017	112
25.	परिशिष्ट–23	निर्वाचक नामावली के आलेख का प्रकाशन एवं दावा व आपत्ति आमंत्रित किए जाने की सूचना	113
26.	परिशिष्ट–24	मतदाताओं के दावे/आपत्तियों संबंधी सूचना	114
27.	परिशिष्ट–25	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील	115–116
28.	परिशिष्ट–26	नाम हटाए जाने के विनिश्चय की सूचना	117
29.	परिशिष्ट–27	उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के संहत प्रावधानों का उद्धरण	118–122
30.	परिशिष्ट–28	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के संहत प्रावधानों का उद्धरण	123–127

iLrkouk

भारत के संविधान में देशवासियों को प्रदत्त वयस्क मताधिकार लोकतंत्र का आधार है। संविधान के 74 वें संशोधन के फलस्वरूप स्थानीय निकायों को सुदृढ़, सक्षम और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 प्रख्यापित की गई। उक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए त्रुटिहीन, शुद्ध एवं परिपूर्ण निर्वाचक नामावली तैयार किया जाना परम आवश्यक है।

नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और उनको अन्तिम रूप दिए जाने का कार्य विभिन्न चरणों में पूर्ण किया जाता है। निर्वाचक नामावलियों के वृहद् पुनरीक्षण के कार्य को सम्पन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा इस प्रक्रिया से जुड़े अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियों, कर्तव्यों और दायित्वों का विस्तार पूर्वक उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है। यद्यपि निर्वाचक नामावलियों के वृहद् पुनरीक्षण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दुओं को इस निर्देश पुस्तिका में सम्मिलित किया गया है तथापि जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से अपेक्षा है कि इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916, उत्तर

प्रदेश नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994के प्रावधानों का भी भलीभाँति अध्ययन कर लें और अपनी जानकारी को अद्यतन रखें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह निर्देश पुस्तिका जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने के निमित्त नियोजित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उन्हें सौंपे गये दायित्वों का बोध कराने एवं उनके कर्तव्य निर्वहन में बहुत उपयोगी एवं मार्गदर्शक सिद्ध होगी।

लखनऊ :
दिनाँक : 23 मई, 2016

एस0 के0 अग्रवाल,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

v/;k;&1

fuokpd jftLVhdj.k vf/kdkjh ,oa lgk;d fuokpd jftLVhdj.k vf/kdkjh dk nkf;Ro

भारत के संविधान के 74 वें संशोधन के परिप्रेक्ष्य में नगरीय निकायों को सुदृढ़, सक्षम और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 प्रभावी हुआ। उक्त अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994प्रख्यापित की गई। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 35 तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 12–ख के अन्तर्गत प्रदेश की नगरीय निकायों के प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण के अधीन तैयार की जाती है। निर्वाचक नामावली तैयार करने, उन्हें प्रकाशित करने तथा उनके सम्बन्ध में प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा कर अन्तिम रूप से निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) तैयार करने का दायित्व प्रत्येक जिले में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पदाभिहित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का है। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या–259/रा0नि0आ0अनु0–5/2010/43/10 दिनाँक 23 नवम्बर, 2010 के द्वारा प्रत्येक जनपद में अपर जिलाधिकारी या अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा जनपद में तैनात उप जिलाधिकारी/अपर नगर मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर को अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदाभिहित किया गया है। इसके अतिरिक्त नगर निगमों के लिए उपायुक्त नगर निगम को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सहयोग हेतु अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदाभिहित किया गया है। अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समकक्ष अधिकार प्राप्त होंगे।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 के नियम–6 तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 के नियम–6 के अधीन प्रत्येक जिले के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पर निर्वाचक नामावली को राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में तैयार करने तथा उसके संक्षिप्त एवं वृहद् पुनरीक्षण का मुख्य दायित्व होगा। वह उक्त कार्य के सम्पादन के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सेक्टर ऑफिसर्स, पर्यवेक्षकों, बी0एल0ओ0 तथा निर्वाचक नामावली की तैयारी के लिए अन्य कर्मियों को नियुक्त करेगा। प्रत्येक तहसील के लिए सम्बन्धित उप जिलाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली नगरीय निकायों का सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होगा। उन्हें आवश्यकप्रशिक्षण देने, उनका मार्गदर्शन करने तथा उनके कार्य–प्रगति की निरन्तर समीक्षा करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उत्तरदायी होगा।

fuokpd jftLVhdj.k vf/kdkjh d nkf;Ro

1. राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994के नियमों के अनुसार अपने जनपद में निर्वाचक नामावलियों को तैयार किये जाने, उनके पुनरीक्षण तथा तत्सम्बन्धी समस्त कृत्यों का सम्पादन करना।
2. प्रत्येक निकाय की निर्वाचक नामावली वार्डवार तथा मतदान केन्द्र/मतदान स्थलवार तैयार करवाना।
3. निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त/वृहद् पुनरीक्षण कराये जाने की स्थिति में आयोग द्वारा घोषित समय सारिणी के अनुसार कार्यक्रम का नगरीय क्षेत्रें में व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करना तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की जिला इकाइयों, संसद और

विधान मण्डल के सदस्यों, निकायों के पदाधिकारियों को पुनरीक्षण कार्यक्रम की लिखित सूचना देना। इसके अतिरिक्त सामान्य जनता की जानकारी के लिए लोकप्रिय समाचार पत्रों में विज्ञापन देना, हैण्डबिल, पैम्फलेट एवं पोस्टर छपवाकर वितरित कराना।

4. निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण के समय उत्तर प्रदेश नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994के प्रावधानों के अनुसार बी0एल0ओ0 द्वारा घर–घर जाकर निर्वाचक गणना कार्ड में परिवर्धन, संशोधन, विलोपन, नवनिर्मित तथा छूटे हुए मकानों के अर्ह व्यक्तियों का नाम सम्मिलित करने की कार्यवाही तथा पुनरीक्षण वर्ष की पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्तियों को भी निर्वाचक के रूप में सम्मिलित करते हुए नये सिरे से निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करना।

5. वांछित संख्या में बी0एल0ओ0 / पर्यवेक्षकों / सेक्टर ऑफिसर्स / दावा आपत्ति प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति विषयक कार्यवाही।

6. वृहद् पुनरीक्षण कार्यक्रम के सम्पादन के लिए उपर्युक्तानुसार नियोजित अधिकारियों / कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देना।

7. वृहद् पुनरीक्षण के समय निकाय क्षेत्र में अर्ह निर्वाचकों का पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए बी0एल0ओ0 द्वारा घर–घर जाकर गणना करने के साथ–साथ परिवार के मुखिया को आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचक कार्ड की कार्बन प्रति उपलब्ध करवाने के लिए जनपद की आवश्यकता का आंकलन कर वांछित संख्या में बी0एल0ओ0 के उपयोगार्थ निर्वाचक गणना कार्डों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

8. बी0एल0ओ0 द्वारा निर्वाचक गणना कार्य पूर्ण करने के उपरान्त पाण्डुलिपियां तैयार की जाती हैं।पाण्डुलिपियों के तैयार होने के पश्चात् निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण हेतु इस पुस्तिका के

अध्याय–8 (निर्वाचक नामावलियों का कम्प्यूटरीकरण) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए निर्धारित समय सारणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के मुद्रण की व्यवस्था करना।

9. पाण्डुलिपि के आधार पर मुद्रित निर्वाचक नामावलियों का विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार दावा/आपत्ति हेतु प्रकाशन तथा जन सामान्य द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिए निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतियाँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।

10. निर्वाचक नामावली के अनन्तिम प्रकाशन के उपरान्त दावे और आपत्तियाँ को प्राप्त करने के लिए अधिकारियों/कर्मियों को नाम निर्दिष्ट/नियुक्त करना तथा ऐसे प्राधिकृत कर्मियों को वांछित संख्या में प्रपत्र आदि उपलब्ध कराना।

11. पुनरीक्षण सम्बंधी प्राप्त दावों तथा आपत्तियाँ का सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के माध्यम से निर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार निपटारा कराना तथा प्रत्येक ऐसे मामले में न्याय संगत विनिश्चय अभिलिखित कराना।

12. दावे तथा आपत्तियाँ के निराकरण के उपरांत निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन की व्यवस्था करना।

13. निर्वाचक नामावली पर प्राप्त दावे तथा आपत्तियाँ से संबंधित अभिलेख और अन्तिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रतियों का आयोग द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाना।

14. निर्वाचक नामावली की प्रतियाँ निर्धारित शुल्क पर देने की व्यवस्था करवाना व इस प्रकार प्राप्त धनराशि को सम्बंधित लेखा शीर्षक में जमा करवाना।

15. निर्वाचक नामावलियों के वृहद् पुनरीक्षण के लिए आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप समन्वय संबंधी समस्त कार्य।

16. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के क्षेत्रधिकार में जिले का सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र रहेगा तथा वह सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन और निर्देश देने तथा उनके

कार्य की निरन्तर समीक्षा और अनुश्रवण करने के लिए उत्तरदायी होगा। वह जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अंदर निर्वाचक नामावली तैयार कराने के दायित्व का निर्वहन करेगा।

lgk;d fuokpd jftLVhdj.k vf/kdkjh d nkf;Ro

1. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नियंत्रण और निदेशन में रहते हुए आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस निमित्त आयोग के आदेशों/निर्देशों के अधीन रहते हुए नगरीय निकायों की वार्डवार तथा मतदान स्थलवार निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने, उसके पुनरीक्षण और प्रकाशन के लिए ऐसे कर्मचारियों जैसे पर्यवेक्षक, बी0एल0ओ0 आदि को जैसा वे उचित समझें, तैनात किया जा सकता है।

प्रत्येक पांच वर्ष में नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन सम्पन्न कराने की संवैधानिक व्यवस्था है। पिछली बार प्रदेश में नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन वर्ष, 2012 में हुए थे। नगरीय निकायों के आगामी सामान्य निर्वाचन वर्ष, 2017 में सम्पन्न कराये जाने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 द्वारा आगामी सामान्य निर्वाचन से पूर्व नगरीय निकायोंकी निर्वाचक नामावलियों का वृहद् पुनरीक्षण कराये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें पुनरीक्षण वर्ष में 18 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त करने वाले अर्ह व्यक्तियों का नाम सम्मिलित किया जाएगा। निर्वाचक नामावली किसी भी निर्वाचन की आधारशिला होती है। यह नामावली जितनी अधिक शुद्ध होगी उतने ही निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन की अपेक्षा की जा सकती है। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि निर्वाचक नामावली में ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम सम्मिलित हों जो कानूनन मतदान के हकदार हैं और ऐसे किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित न हो जिसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है। यह

सैद्धान्तिक मन्त्र निर्वाचक नामावली को तैयार करने वाले प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को व्यवहरित करना है।

2—निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण हेतु आयोग द्वारा जो कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा, उस कार्यक्रम की आवश्यकतानुसार प्रतियाँ जिलों में अलग से तैयार करके रखी जाएंगी ताकि सम्बन्धित अधिकारी यथा जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सेक्टर ऑफिसर, पर्यवेक्षक तथा बी0एल0ओ0 उक्त कार्यक्रम हर समय अपने साथ रख सकें तथा उसके अनुसार निर्धारित समयावधि में इस पुनीत कार्य को सम्पन्न करा सकें।

3—उत्तर प्रदेश नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 (परिशिष्ट—1) तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 (परिशिष्ट—2) के प्रावधानों के अनुसार बी0एल0ओ0 द्वारा घर—घर जाकर वर्तमान निर्वाचक नामावली में परिवर्धित, संशोधित, विलोपित होने वाले नामों की प्रविष्टि निर्वाचक गणना कार्ड खण्ड—क (परिशिष्ट—7) में तथा नव निर्मित मकानों व वर्तमान निर्वाचक नामावली में छूटे हुये मकानों के वयस्क अर्ह नागरिकों के नाम व उनके ब्यौरे की प्रविष्टि निर्वाचक गणना कार्ड खण्ड—ख(परिशिष्ट—7क) में अंकित की जाएगी और बी0एल0ओ0 के द्वारा किये गए कार्य की जांच पर्यवेक्षकों आदि के द्वारा की जाएगी।

v/;k;&2

fuokZpd ukekoyh ds o`gn~ iqujh{k.k grq izpkj izlkj

1. वृहद् पुनरीक्षण कार्यक्रम का नगरीय निकाय के क्षेत्रें में व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाएगा। प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की जिला इकाइयों, संबंधित संसद और विधान मण्डल के सदस्यों, नगर निगम के महापौरों एवं पार्षदों, नगर पंचायतों एवं नगर पालिका परिषदों के अध्यक्षों एवं सदस्यों को यथा सम्भव लिखित रूप से पुनरीक्षण कार्यक्रम की सूचना दी जाएगी। विगत निर्वाचन में उक्त पदों के निकटतम प्रतिद्वंदियों को भी यह सूचना भेजी जाए।

2. वृहद् पुनरीक्षण कार्यक्रम की सार्वजनिक सूचना निर्धारित प्रपत्र(परिशिष्ट–3) पर प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करायी जाएगी। इस हेतु जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से प्रयास यह किया जाए कि उक्त सार्वजनिक सूचना समाचार पत्र के मुख पृष्ठ (फ्रन्ट पेज) पर प्रकाशित हो। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा यह भी प्रयास किया जाए कि जनपदों में स्थानीय केबिल ऑपरेटरों, दूरदर्शन व ऑल इण्डिया रेडियो के माध्यम से स्थानीय चैनलों पर भी निर्वाचक नामावली के संबंध में सूचनाएं प्रचारित कराई जाएं।

3. निर्वाचक नामावली की तैयारी के संबंध में जनता को व्यापक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पैम्फलेट/हैण्ड बिल तथा पोस्टर भी मुद्रित कराकर वितरित किए जाएं। हैण्डबिल/पैम्फलेट नगरीय निकायों के अधिशाषी अधिकारी/नगर आयुक्तों के द्वारा बी0एल0ओ0 के माध्यम से अथवा निकाय स्तरीय कर्मचारियों के माध्यम से वितरित कराया जा सकता है। हैण्डबिल प्रति नगर पंचायत 1000, प्रति नगर पालिका परिषद 3000 एवं प्रति नगर निगम 10000 की दर से वितरित करा दिया जाए और इसी प्रकार नगर पंचायत में प्रति वार्ड 25, नगर पालिका परिषद में प्रति वार्ड 50 एवं नगर निगम में प्रति वार्ड 100 पोस्टर सहज दृष्टव्य स्थानों पर चिपकवा दिया जाएगा। जनपद में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को हैण्डबिल वितरित कर उनके परिवारों तक पुनरीक्षण की सूचना पहुँचाई जा सकती है।

4. सभी नगरीय निकायों में निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण के कार्यक्रम के संबंध में नगरीय निकायों में सदस्यों/पार्षदों की बैठक करके उन्हें पैम्फलेट/हैण्डबिल उपलब्ध कराया जाए ताकि वे उसे मोहल्लों में वितरित कर सकें। नागरिक सुरक्षा संगठन, रेजिडेण्ट वेलफेयर एसोसिएशन, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आँगनबाड़ी कार्यकर्त्री, युवा कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र अथवा अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से भी निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण के संबंध में प्रचार प्रसार कराया जा सकता है।

5. प्रचार प्रसार का समस्त कार्य समयबद्व रूप से मितव्ययिता के आधार पर कराया जाना है तथा प्रयास यह किया जाए कि अधिकांश कार्य निःशुल्क अथवा न्यूनतम व्यय में सम्पादित हो जाएं। प्रत्येक जनपद के लिए प्रचार प्रसार हेतु धनराशि अलग से आंवटित की जा रही है। आवंटित धनराशि के अन्तर्गत ही इस मद का व्यय सीमित रखा जाए।

अध्याय-3

निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण हेतु व्यवस्था तथा अधिकारियों@कर्मचारियों की नियुक्ति आदि प्रशिक्षण

जनपद स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण कराने के लिए निम्नवत् व्यवस्था की जाएगीः–

1. आयोग के आदेश के अधीन जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय)नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण हेतु अपर जिला अधिकारी/अपर जिला अधिकारी स्तर के अधिकारी को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) पदाभिहित करेंगे।

2. जनपद के प्रत्येक नगरीय निकाय हेतु जनपद में तैनात उप जिलाधिकारी या अपर नगर मजिस्ट्रेट या डिप्टी कलेक्टर को जिला मजिस्ट्रेट आयोग के आदेश के अधीन सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदाभिहित करेंगे। नगरीय निकायों में मतदाताओं की संख्या अधिक हो तो उसे सुविधानुसार कई जोन में बांटा जा सकता है तथा प्रत्येक जोन में एक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदाभिहित किया जा सकता है। नगर निगमों में उपायुक्त नगर निगम को अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदाभिहित किया जा सकता है।

3. प्रत्येक नगरीय निकाय में सभी मतदान स्थलों का एक रेखाचित्र (नजरी नक्शा) तैयार किया जाएगा जिसमें मतदान स्थल, नगरीय निकाय का वार्ड, मकान नम्बर एवं प्रमुख सड़कें प्रदर्शित की जाएंगी।

4. यथासम्भव प्रत्येक मतदान स्थल पर निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–6) पर एक बी0एल0ओ0 की नियुक्ति की जाए जो लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, प्राथमिक पाठशाला के

सहायक अध्यापक व अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी होंगे। यथा सम्भव नगरीय निकाय के कर्मचारियों को निर्वाचक नामावली की तैयारी में न लगाया जाएं नगरीय निकाय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यदि निर्वाचक नामावली तैयार कराये जाने में वार्ड व मतदान केन्द्र/स्थल की भौगोलिक सीमा में कोई असुविधा होती है तो उसके बारे में मदद ली जा सकती है। सभी बी0एल0ओ0 को निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–6) पर पहचानपत्र जारी किये जाएं जिससे बी0एल0ओ0 को क्षेत्र में जांच के दौरान असुविधा न हो।

5. 8 से 10 मतदान स्थल पर नियुक्तबी0एल0ओ0 के कार्य के पर्यवेक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–6) पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा जो नायब तहसीलदार, अवर अभियन्ता, सहायक विकास अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, खण्ड शिक्षा अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी, विपणन निरीक्षक व इसी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी होंगे।

6. 5 से 8 पर्यवेक्षकों पर निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–6) पर एक सेक्टर आफिसर नियुक्त किया जाएगा जो राजपत्रित व द्वितीय श्रेणी का अधिकारी होगा (प्रत्येक नगर पंचायत में एक सेक्टर आफिसर, नगर पालिका परिषदों में 30,000–35,000 मतदाताओं पर एक सेक्टर आफिसर व नगर निगम में 45,000–50,000 मतदाताओं पर एक सेक्टर आफिसर)।

7. निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण का कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा प्रत्येक निकाय की अद्यतन मतदाता सूची जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, को डाउनलोड कर बी0एल0ओ0 को घर–घर जांच हेतु उपलब्ध करायी जाएगी। इसके अतिरिक्त आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मतदाता सूची में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि तथा एक ही मतदान स्थल की मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि अथवा उस नगरीय निकाय की किसी दो या दो से अधिक मतदाता सूचियों में दोहरी प्रविष्टि की अलग से सूची भी बी0एल0ओ0 को उनके कार्य में सहायता हेतु दी जाएगी।

8. अद्यतन मतदाता सूचीबी0एल0ओ0 को देने के पूर्व यह देख लिया जाए कि यदि किसी मतदाता सूची में 1000 से अधिक मतदाता हैं तो उस मतदाता सूची को सत्यापन के पूर्व ही दो भाग में कर लिया जाए जिससे मतदाता सूची तैयार होने के उपरान्त अधिक मतदाता होने के कारण दुबारा उस मतदान स्थल में सहायक मतदान स्थल बनाये जाने की आवश्यकता न पड़े। मतदाता सूची विभाजित करते समय यह ध्यान रखें कि एक परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदाता सूची में हो।

9. प्रत्येक मतदान स्थल की संख्या प्रत्येक वार्ड में एक से आरम्भ होगी। प्रत्येक वार्ड में जितने मतदान स्थल होंगे, क्रमशः एक से आरम्भ होकर अन्तिम क्रमांक तक दर्ज किया जाएगा जिसे भाग संख्या भी कहा जाएगा।उदाहरण के तौर पर यदि किसी वार्ड में सात मतदान स्थल हैं तो क्रमशः भाग संख्या 01, 02, ... 07 अंकित की जाएगी।

10. जनपदों में प्रत्येक नगरीय निकाय में आवश्यकतानुसार बी0एल0ओ0, पर्यवेक्षक तथा सेक्टर आफिसर की नियुक्ति आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में करके प्रशिक्षण आदि की कार्यवाही कर ली जाएं

dkfeldk dh fu;fDr

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निदेशन में कार्य करने हेतु उनके क्षेत्रधिकार के अन्तर्गत आने वाली निकायों के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किये जाएंगे। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रधिकार के अन्तर्गत घर–घर जाकर गणना तथा जांच करने हेतु बी0एल0ओ0 तथा बी0एल0ओ0 के कार्यों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। पर्यवेक्षक के कार्यों के निरीक्षण हेतु सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का नियुक्ति पत्र निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–4) में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। प्रत्येक तहसील में निर्वाचक गणना कार्यों हेतु नगर पंचायतों एवं नगर पालिका परिषदों में

अधिशाषी अधिकारी और नगर निगमों में नगर आयुक्त समन्वयक (Co-ordinator) होंगे जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा निर्वाचकों के मध्य समन्वयक का कार्य करेंगे और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। प्रत्येक मतदान स्थल पर एक बी0एल0ओ0 की नियुक्ति की जाएगी।

2. बी0एल0ओ0, पर्यवेक्षक एवं सेक्टर ऑफिसर की नियुक्ति हेतु विभागों से परिशिष्ट–5 पर दिए गए प्रपत्र पर संबंधित पद के स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण मंगाकर तहसील पर जमा किया जाएगा (परिशिष्ट–5 का प्रपत्र आयोग की वेबसाइट http:://sec.up.nic.in के Download Link में उपलब्ध है)। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विभागों से प्राप्त सभी प्रपत्रों पर बी0एल0ओ0, पर्यवेक्षक एवं सेक्टर ऑफिसर को बूथ आबंटित किए जाएंगे, तत्पश्चात् ऐसे प्रपत्रों के विवरण को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जा रहे सॉफ्टवेयर के माध्यम से फीडिंग की जाएगी जिसके आधार पर नियुक्त किए गए बी0एल0ओ0, पर्यवेक्षक एवं सेक्टर ऑफिसर को नियुक्ति पत्र/परिचय पत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी किए जाएंगे।

if'k{k.k

घर–घर जाकर बी0एल0ओ0 के लिये विहित कार्य करने हेतु निर्धारित कार्यक्रम के पूर्व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, तहसीलदार तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को जिला मुख्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाए। पर्यवेक्षकों और बी0एल0ओ0 को दो दिनों में प्रशिक्षण तहसील स्तर पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा दिया जाएगा।

v/;k;&4

ch0,y0vk0 }kjk x.kuk dkM e fu/kkfjr ifof"V;k nt djuk

बी0एल0ओ0 को घर–घर जाकर निर्धारित प्ररूप पर **fuokpd x.kuk dkM** (परिशिष्ट–7 तथा परिशिष्ट–7क)तैयार करना होगा। बी0एल0ओ0 के क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या के अनुसार निर्वाचक गणना कार्ड उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। उपलब्ध करायी गई वर्तमान निर्वाचक नामावली में परिवर्धित, संशोधित, विलोपित होने वाले वयस्क नागरिकों (18 वर्ष या अधिक आयु) का विवरण निर्वाचक गणना कार्ड के खण्ड–क (परिशिष्ट–7) तथा नव निर्मित मकान जिनमें निवास करने वाले अर्ह निर्वाचकों के नाम वर्तमान निर्वाचक नामावलियों में दर्ज नहीं हैं तथा ऐसे व्यक्तियों के नाम जो पूर्व निर्मित मकानों में सामान्य रूप से निवास कर रहे थे किन्तु उन सभी के नाम कदाचित् निर्वाचक नामावली में दर्ज करने से छूट गये थे, उनका नाम पूर्ण विवरण सहित गणना कार्ड खण्ड–ख(परिशिष्ट–7क) तीन प्रतियों में अंकित किया जाएगा। गणना कार्ड की कार्बन प्रति उसी समय घर के मुखिया या उसकी अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठ सदस्य को दी जाएगी तथा प्राप्तकर्ता से प्राप्ति के हस्ताक्षर कराये जाएंगे। निर्वाचक के रूप में किसी व्यक्ति की अर्हता और अनर्हता निम्नवत् होगीः–

प्रत्येक वह व्यक्ति जो उस कैलेण्डर वर्ष, जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जा रही है, की पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है और सम्बन्धित नगरीय निकाय के किसी वार्ड में सामान्य रूप से निवासी है, उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा परन्तुः–

(क) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इस कारण कि किसी वार्ड में उसका किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा है, यह न समझ लिया जाएगा कि वह वहां का सामान्य रूप से निवासी है।

(ख) अपने निवास स्थान से अपने आप को अस्थायी रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा कि वह वहाँ सामान्य तौर से निवासी नहीं है।

(ग) संसद या राज्य के विधान मण्डल का सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में किसी वार्ड से अनुपस्थित रहने मात्र के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि वह अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी नहीं है।

(घ) यह विनिश्चय करने के लिए कि किसी व्यक्ति को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी समझा जाए या न समझा जाए, विचार करने के लिए यह आवश्यक होगा कि वहां पर रात्रि निवास हेतु उसका किसी भी रूप में घर या मकान हो और वह वहां अधिकांशतः निवास करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी सीजनल कार्य से किसी अल्प अवधि के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चला जाता है किन्तु उसके बाद पुनः आकर वहीं निवास करता है, निर्वाचक के रूप में अनर्ह नहीं हो जाएगा और इसी प्रकार किसी अल्प अवधि के लिये सीजनल कार्य से किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को सामान्य रूप से उस क्षेत्र का निवासी नहीं माना जाएगा। यह भी आवश्यक है कि किसी वार्ड में किसी व्यक्ति के सामान्य रूप से निवास करने की अवधारणा, उन सभी तथ्यों के आलोक में की जाए जिनसे यह स्पष्ट हो कि अमुक व्यक्ति उक्त क्षेत्र में सामान्यतः निवास करता है।

2– निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई व्यक्ति अनर्ह होगा यदि वह–

(क) भारत का नागरिक न हो, या

(ख) विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, या

(ग) निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों केअधीन मत देने के लिए तत्समय अनर्ह हो।

fuokpd ukekoyh dk lR;kiu] ifjo)u] foyksiu ,o l'kk/ku dh dk;okgh

1. निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्य से पूर्व जनपदों में बी0एल0ओ0, पर्यवेक्षक व सेक्टर आफिसर नियुक्त कर लिया जाए तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली की तैयारी के सम्बन्ध में विस्तृत प्रशिक्षण दे दिया जाए तथा बी0एल0ओ0 को उनके क्षेत्र के मतदान स्थल की अद्यतन मतदाता सूची की एक प्रति, निर्वाचक गणना कार्ड व अन्य अभिलेख/प्रपत्र उपलब्ध करा दिये जाएं।

2. यह ध्यान रखा जाए कि ग्रामीण क्षेत्रें के मतदाता नगरीय निकाय की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हों। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक होगा कि उसमें से नगरीय निकाय क्षेत्र में आने वाले हिस्सों को परिसीमन के अनुसार चिह्नित कर लिया जाए। यह कार्य सामान्य निर्देशों के अधीन रहते हुये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा उनके अधीन कार्य कर रहे पर्यवेक्षकों, बी0एल0ओ0 व अन्य कार्मिकों से करवाया जा सकता है। यह विशेष ध्यान रखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति का नाम पंचायत एवं नगरीय निकाय दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है और वह सामान्य रूप से पंचायत क्षेत्र में निवास कर रहा है तो उसका नाम नगरीय निकाय की मतदाता सूची से काट दिया जाएगा।

3. शासकीय अधिसूचना द्वारा नगरीय निकायों/वार्डों के परिसीमन में यदि कोई संशोधन किया गया हो तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराएगा। निर्वाचक नामावली में तदनुसार संशोधन किया जाएगा।

4. बी0एल0ओ0 निर्वाचक नामावली लेकर घर–घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। प्रत्येक घर में नये मतदाता जिनके

नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, उनका नाम व अन्य विवरण निर्वाचक गणना कार्ड में दर्ज करेंगे। जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है या जो उस घर में नहीं रह रहे हैं या अन्य किसी कारण से निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अनर्ह हैं, उनके नाम तदनुसार निर्वाचक गणना कार्ड में विलोपन हेतु अंकित कर लेंगे। यदि किसी मतदाता का नाम गलत अंकित है तो सही नाम अंकित करने के लिए निर्वाचक गणना कार्ड में दर्ज कर लेंगे। परिवर्द्धन, विलोपन एवं संशोधन हेतु जो नाम निर्वाचक गणना कार्ड में बी0एल0ओ0 द्वारा दर्ज किये जाएंगे, उस परिवार के सम्बन्धित व्यक्ति अथवा परिवार के वरिष्ठ सदस्य या मुखिया के हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा लिये जाऐंगे।

5. घर–घर सत्यापन के दौरान कुछ मकानों पर संख्या अंकित नहीं होंगे, ऐसे मकानों में रहने वाले मतदाताओं के नाम परिवर्द्धन, विलोपन एवं संशोधन हेतु दर्ज करने के लिए मकानों पर नम्बर बगल के मकान के नम्बर लिखकर (/1) अंकित करेंगे।उदाहरण के तौर पर यदि बगल का मकान नम्बर 105 है तो बिना नम्बर के मकान में 105/1 अंकित किया जाएगा।इसी प्रकार बिना नम्बर के अन्य मकानों के नम्बर क्रमशः अंकित किये जाएंगे।

6. बी0एल0ओ0 द्वारा प्रतिदिन कितने मतदाताओं के सत्यापन का कार्य किया गया है, उसकी दैनिक समीक्षा शाम को कार्य से लौटने पर पर्यवेक्षक द्वारा की जाएगी तथा पर्यवेक्षक द्वारा 10 प्रतिशत जांच दूसरे दिन स्वयं की जाएगी। सेक्टर आफिसर प्रत्येक तीसरे दिन पर्यवेक्षकों को सम्बन्धित निकाय क्षेत्र में किसी मतदान केन्द्र पर बुलाकर पुनरीक्षण की समीक्षा करेंगे तथा आवंटित क्षेत्र में 5 प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन स्वयं करेंगे। इसी प्रकार सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बी0एल0ओ0, पर्यवेक्षक व सेक्टर आफिसर के कार्य की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे और तीन प्रतिशत जांच रैण्डम आधार पर स्वयं करेंगे। पर्यवेक्षकों, सेक्टर आफिसर्स व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा की गयी जांच के सम्बन्ध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाएगी।

7. पर्यवेक्षक द्वारा 10 प्रतिशत मतदाताओं की जांच रैण्डम आधार पर की जाएगी। पर्यवेक्षक को आवंटित प्रत्येक मतदान स्थल के कुल

मतदाताओं के अंकों को जोड़कर जो संख्या प्रत्येक मतदान स्थल पर आएगी, वह संख्या एक मतदान स्थल के लिए रैण्डम संख्या होगी। इसी प्रकार उन्हें आवंटित अन्य मतदान स्थलों की रैण्डम संख्या निर्धारित की जाएगी। उदाहरण स्वरूप यदि किसी एक मतदान स्थल पर 887 मतदाता हैं, तो रैण्डम संख्या 8 + 8 + 7 = 23 होगी। इस मतदान स्थल पर क्रमांक 23 के बाद प्रत्येक दसवीं संख्या अर्थात् 33, 43 आदि के क्रमांक के मतदाताओं की जांच की जाएगी। इसी प्रकार सेक्टर आफिसर द्वारा पर्यवेक्षक द्वारा जांच किये गये मतदाताओं में से 5 प्रतिशत रैण्डम आधार पर उपर्युक्तानुसार रैण्डम संख्या निर्धारित करके जांच की जाएगी। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पर्यवेक्षक एवं सेक्टर आफिसर द्वारा की गयी जांच में से 3 प्रतिशत रैण्डम संख्या निर्धारित करके उपर्युक्तानुसार जांच करेंगे। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपर्युक्तानुसार रैण्डम आधार पर संख्या का निर्धारण करके पर्यवेक्षक, सेक्टर आफिसर व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को जांच हेतु उपलब्ध करायेंगे। रैण्डमाइजेशन का कार्य कम्प्यूटर से किया जाएगा तथा नगरीय निकायवार उपर्युक्त सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को ई–मेल द्वारा प्रेषित की जाएगी।

8. पर्यवेक्षक, सेक्टर आफिसर, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की गयी जांच आयोग द्वारा क्रमशः निर्धारित प्रपत्र(परिशिष्ट–10, 11 एवं 12) पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–13) पर जांच रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करेंगे।

9. निर्वाचक नामावली का घर–घर जाकर सत्यापन के दौरान मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन, पर्यवेक्षक व सेक्टर आफिसर द्वारा करा लिया जाएं यदि मतदान केन्द्र स्थान कम होने के कारण, भवन क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण व किसी अन्य कारण से परिवर्तित किया जाना आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया जाए जिससे निर्वाचक नामावली में मतदान केन्द्र/स्थल अद्यावधिक दर्ज कर निर्वाचक नामावली तैयार की जा सके।

10. घर–घर जाकर निर्वाचक नामावली की जांच का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त बी0एल0ओ0 द्वारा निर्वाचक गणना कार्ड में दर्ज परिवर्द्धन, विलोपन एवं संशोधन की एक सूची तीन प्रतियों में नियत प्ररूप पर तैयार की जाएगी जिसकी पर्यवेक्षक एवं सेक्टर आफिसर द्वारा जांच की जाएगी। जांचोपरान्त उस पर नाम व पदनाम सहित हस्ताक्षर किया जाएगा। इसके बाद हस्तलिपि में तैयार की गयी सूची सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में उपलब्ध करायी जाएगी। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा परिवर्द्धन, विलोपन एवं संशोधन हेतु बी0एल0ओ0 से सूची प्राप्त होने के उपरान्त निर्वाचक नामावली में मतदाताओं के नाम परिवर्द्धित/विलोपित/संशोधित किये जाने हेतु स्वीकृत करके जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) में मुद्रण हेतु उपलब्ध करायी जाएगी।

11. बी0एल0ओ0 के लिए विस्तृत निर्देश परिशिष्ट–8 में दिये गये हैं। बी0एल0ओ0 के कार्य क्षेत्र का स्पष्ट रूप से निर्धारण करना होगा और उन्हें क्रमवार प्रत्येक वार्ड के मकान नं0 के साथ अलग–अलग तालिका और क्षेत्र का स्केच देना होगा ताकि निर्वाचक के घर एवं नाम की गणना सही वार्ड में ही हो। पर्यवेक्षकों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्य क्षेत्र का भी स्पष्ट विभाजन करना होगा। इसके लिए प्रशिक्षण से पूर्व विस्तृत जानकारी एवं उनके क्षेत्र का स्केच उपलब्ध कराना होगा। यह कार्य ग्राम विकास अधिकारियों/ ग्राम पंचायत अधिकारियों/राजस्व निरीक्षकों/लेखपालों की सहायता से नायब तहसीलदार/सहायक विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्पादित कराया जाएगा। इस कार्य में तहसीलदार सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सहयोग प्रदान करेंगे।

12. प्रशिक्षण के समय बी0एल0ओ0 और पर्यवेक्षकों को स्पष्ट निर्देश दे दिये जाएं कि वे दिए गए आदेशों का कड़ाई से पालन करेंगे। उन्हें यह भी निर्देश दिये जाएं कि एक ही जगह बैठकर निर्वाचक गणना कार्ड भरने का कार्य न करें। बी0एल0ओ0, पर्यवेक्षकों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्य के आकस्मिक निरीक्षण हेतु अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को भी

निर्देशित किया जाए कि वे जब भी निर्दिष्ट अवधि में विभागीय कार्य से अपने क्षेत्र में भ्रमण पर जाएं तो गणना कार्य की भी आकस्मिक जांच कर लें। इससे शत प्रतिशत सही निर्वाचक नामावली को तैयार करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी। निर्वाचक गणना कार्य समाप्त होने पर बी0एल0ओ0 द्वारा एक प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–9) में दिया जाएगा। पर्यवेक्षक द्वारा बी0एल0ओ0 के कार्य की जाँच करने का प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–10) में दिया जाएगा। सेक्टर ऑफिसर द्वारा पर्यवेक्षक के कार्य की जाँच करने का प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–11) मेंतथासहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की गयी जाँच का प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–12) में दिया जाएगा, ताकि इस कार्य की शुद्वता, सत्यता एवं परिपूर्णता सुनिश्चित हो सके।

v/;k;&5

fuokpd x.kuk dkM d vk/kkj ij ik.Mfyfi;k r;kj djuk

बी0एल0ओ0 द्वारा घर–घर जाकर निर्वाचक गणना कार्ड पर निर्धारित प्रविष्टियों को दर्ज करने और जाँच का कार्य पूरा होने के उपरान्त इन पूरक सूचियों की पांडुलिपियाँ तीन प्रतियों में निकायवार तथा वार्डवार/मतदान स्थलवार तैयार की जाएंगी। यह बात ध्यान देने योग्य है कि हस्तलिखित प्रति स्वच्छ और सुलेख में तैयार की जाए अन्यथा कम्प्यूटरीकरण में असुविधा होगी और त्रुटिपूर्ण होने की आशंका रहेगी। हस्तलिखित प्रति तैयार करने का कार्य बी0एल0ओ0 और पर्यवेक्षकों से कराया जाए और उसका मिलान उपलब्ध करायी गयी वर्तमान निर्वाचक नामावली तथा निर्वाचक गणना कार्डों से कराया जाए। हस्तलिखित प्रति पर बी0एल0ओ0, पर्यवेक्षक, सेक्टर ऑफिसर और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होंगे।

v/;k;&6

ik.Mfyfi dk dEI;wVjhdj.k dh dk;Zokgh

तैयार पाण्डुलिपियों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाएगा। जनपद द्वारा उक्त कार्यवाही अध्याय–8 के अनुसार करायी जाएगी। उक्त पाण्डुलिपि तैयार होने के बाद मतदान स्थलवार मतदाता सूची का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा तथा कम्प्यूटरीकरण कराने के उपरान्त सम्बन्धित बी0एल0ओ0 से पाण्डुलिपि से इसका मिलान कराया जाएगा। मिलान के उपरान्त जो त्रुटियां होंगी उन्हें ठीक कराया जाएगा। ठीक होने के उपरान्त निर्वाचक नामावली की प्रतियाँ प्रिन्ट करायी जाएंगी एवं बी0एल0ओ0 व पर्यवेक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र लिया जाएगा कि पाण्डुलिपियों से कम्प्यूटरीकृत निर्वाचक नामावली का मिलान कर लिया गया है तथा इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है।

निर्वाचक नामावली के कम्प्यूटरीकरण के समय यह ध्यान दिया जाएगा कि निर्वाचक नामावली के प्रत्येक पृष्ठ पर मतदान स्थलों के नाम व संख्या, वार्ड संख्या, सम्बन्धित मोहल्लों का अंकन अवश्य हो। मतदान स्थल जिस भवन में बनाया गया है, वह यदि मौके पर क्षतिग्रस्त है या मतदान स्थल बनाये जाने योग्य नहीं है तो उसे कम्प्यूटरीकरण प्रति तैयार करने के पूर्व ही परिवर्तित कर लिया जाएगा। तदुपरान्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) से स्वीकृति प्राप्त करके कम्प्यूटरीकरण की प्रति तैयार करने के समय मतदान स्थल/केन्द्र का नाम मतदाता सूची में अंकित किया जाएगा।

कम्प्यूटरीकरण के पश्चात् अनन्तिम निर्वाचक नामावलियों की प्रतियाँ प्रति वार्ड तैयार की जाएंगी। यह कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कराया जाना अनिवार्य है।

vufUre fuokpd ukekoyh d vky[k dk idk'ku

निर्धारित अवधि में मतदान स्थलवार निर्वाचक नामावलियों की प्रतियाँ कम्प्यूटरीकृत कराने के पश्चात् निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–23) पर निर्वाचक नामावली के आलेख्य का प्रकाशन एवं दावा व आपत्ति आमंत्रित किए जाने की सूचना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नोटिस प्रदर्शित करके की जाएगी।

निर्वाचक नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय, मतदान स्थलवार मतदान केन्द्रों पर, सम्बन्धित निकाय के कार्यालय व जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) के कार्यालय पर अनन्तिम प्रकाशन हेतु रखी जाएगी तथा इस सम्बन्ध में क्षेत्र में व्यापक प्रचार किया जाएगा व दैनिक समाचार पत्रों में भी निःशुल्क प्रकाशित कराया जाएगा। मतदाताओं द्वारा निर्वाचक नामावली का निरीक्षण करके दावे/आपत्तियाँ दी जाएंगी। इस कार्य हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किये जाएंगे जो मतदान केन्द्रों पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक निर्वाचक नामावली लेकर उपस्थित रहेंगे तथा निर्वाचक नामावलियों का निरीक्षण करायेंगे एवं दावे/आपत्तियाँ प्राप्त करेंगे। निकाय के मतदान केन्द्रों को सेक्टरों में विभाजित कर राजपत्रित अधिकारियों को सेक्टर आफिसर नियुक्त किया जाएगा जो प्रतिदिन भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक मतदान केन्द्रों व अन्य स्थलों पर का कार्य हेतु नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मतदाताओं को निर्वाचक नामावली का निरीक्षण नियमित कराया जा रहा है तथा दावे/आपत्तियाँ प्राप्त की जा रही हैं।

इसी प्रकार नगर निगमों में जोनवार, वार्डवार, नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में वार्डवार निर्वाचक नामावली रखी जाएगी। नगर निगम में नगर आयुक्त, नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी आवश्यकतानुसार मतदाता सूची के निरीक्षण हेतु अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त करेंगे जो जनसामान्य को निर्वाचक नामावली का निरीक्षण करायेंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) के कार्यालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में भी उपर्युक्तानुसार व्यवस्था की जाएगी।

v/;k;&7

nkok ,oe vkifÙk;k nkf[ky djuk rFkk mudk fuLrkj.k

1. विनिर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का नोटिस निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–23) में प्रकाशित करने के तत्काल बाद से ही दावे/आपत्तियाँ दाखिल करने का कार्य आरम्भ हो जाएगा जो कि निर्दिष्ट अवधि तक चलता रहेगा। जनसाधारण की सुविधा के लिए जिस कर्मचारी को सूचियों के निरीक्षण कराने का कार्य सौंपा जाए, उसे विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले दावे/आपत्तियों को प्राप्त करने का दायित्व भी सौंपा जा सकता है। नाम सम्मिलित किये जाने का दावा निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–15) पर तथा किसी प्रविष्टि के विवरण के सम्बन्ध में आपत्ति का दावा निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–16) में होगा। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा–12घ तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–37 के अन्तर्गत अनर्ह हो जाने के कारण निर्वाचक नामावली से नाम हटाये जाने सम्बन्धी आपत्तिपरिशिष्ट–17पर दिए गए प्रपत्र में होगी।

2. यदि किसी व्यक्ति का नाम निकालने सम्बन्धी आपत्ति परिशिष्ट–17 में दिए गए प्रपत्र में की गयी हो तो यह दो प्रतियों में प्राप्त की जाएगी, जिसकी एक प्रति परिशिष्ट–14 में दिए गए प्रपत्र की नोटिस के साथ सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए उस व्यक्ति को, जिसका नाम निकाले जाने की आपत्ति की गयी है, भेजी जाएगी और परिशिष्ट–14 में दिए गए प्रपत्र की नोटिस की एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी के पास रहेगी। इस प्रकार दावे/आपत्तियों सम्बन्धी प्रपत्रों और रसीद के प्ररूप अपेक्षित संख्या में मुद्रित कराकर उक्त कर्मचारी को समय से उपलब्ध कराना होगा। सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा दावे/आपत्तियों का विवरण परिशिष्ट–18, परिशिष्ट–19, परिशिष्ट–20 एवं परिशिष्ट–21 में दिए गए प्रपत्रों में तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा। पर्यवेक्षक का यह दायित्व होगा कि परिशिष्ट–19, परिशिष्ट–20, परिशिष्ट–21 एवं परिशिष्ट–22 में दिए गए प्रपत्रों का विवरण पत्र (दो

प्रतियों में) दावे/आपत्तियों के मूल अभिलेखों सहित दूसरे दिन तक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करा दें। दावे/आपत्तियाँ सीधे सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भी प्राप्त की जा सकेंगी। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह उपर्युक्त विनिर्दिष्ट कर्मचारी के माध्यम से प्राप्त दावे/आपत्तियों की सूची अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रतिदिन प्रदर्शित करेगा।

3. यदि एक ही घर के अर्थात् एक ही परिवार के सदस्यों से सम्बन्धित अलग–अलग आवेदन पत्र इकट्ठा प्रस्तुत किये जाएं तो उन्हें स्वीकार किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति या राजनैतिक दल के प्रतिनिधि द्वारा दावे और आपत्तियाँ थोक में प्रस्तुत की जाएं तो उन्हें ग्रहण न किया जाए तथा ऐसे प्रस्तुतकर्ताको सलाह दी जाए कि वह सम्बन्धित व्यक्तियों से अलग–अलग आवेदन पत्र दिलाएं क्योंकि आवदेकों के दावों और आपत्तियों पर जांच–पड़ताल के लिये उनसे अलग–अलग पूछताछ की जानी होगी।

nkos@vkifÙk;ksa dk fuLrkj.k

1. यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विहित प्रपत्र में विहित रीति से यदि कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जाती है तो प्राप्त दावा/आपत्ति को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अस्वीकारकर दिया जाएगा। अनन्तिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली के सम्बन्ध में जो दावे/आपत्तियाँ प्राप्त होंगी उन्हें सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदान स्थलवार अलग कर पूर्व में नियुक्तबी0एल0ओ0 व पर्यवेक्षकों अथवा तहसील के कर्मचारियों द्वारा जांच कराकर आयोग के निर्देशानुसार दावे/आपत्तियों का निस्तारण निर्धारित अवधि में करके नियत प्ररूप में सूची तैयार कराकर कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही करायी जाएगी। कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त पाण्डुलिपि की सूची से बी0एल0ओ0/ पर्यवेक्षक के माध्यम से मिलान कराया जाएगा।

2. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जिन मामलों में दावे/आपत्तियों की ग्राह्यता से प्रथम दृष्ट्या संतुष्ट न हों तो ऐसे

दावेदार/आपत्तिकर्ता को परिशिष्ट–14 में दिए गए प्रपत्र में नोटिस तामील की जाएगी जिसकी एक प्रति दावेदार/आपत्तिकर्ता के निवास स्थान पर चस्पा करायी जाएगी। नोटिस में दावा/आपत्ति की सुनवाई का समय और स्थान विनिर्दिष्ट होगा और दावेदार या आपत्तिकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा उपस्थित होने का निर्देश दिया जाएगा। यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि दो साक्षियों के समक्ष ऐसी चस्पा की गयी नोटिस तामील करने वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र तामीली के लिए निश्चयात्मक प्रमाण माना जाएगा। दावे/आपत्तियों के साथ दावेदार/ आपत्तिकर्ता द्वारा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएंगे जिस पर वह निर्भर करता हो। सुनवाई के समय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावेदार/आपत्तिकर्ता का बयान अभिलिखित करने अथवा ऐसी अन्य संक्षिप्त जांच के पश्चात् विनिश्चय किया जाएगा और अपने विनिश्चय से सम्बन्धित आदेश की एक प्रति दावेदार/आपत्तिकर्ता को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी। यदि आपत्तिकर्ता की शिकायत सही पायी जाए और किसी निर्वाचक का नाम सम्बन्धित निर्वाचक नामावली से हटाने का विनिश्चय अभिलिखित हो जाए तो तत्सम्बन्धी सूचना ऐसे व्यक्ति को अवश्य भेजी जाए। दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण के बाद, दावा/आपत्ति की शुद्व एवं अन्तिम सूची (परिवर्द्धित/विलोपित/संशोधित नामों की) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शित की जाएगी। सूची में पृष्ठ संख्या इस प्रकार अंकित की जाए जिससे प्रत्येक पृष्ठ पर मतदाता सूची की कुल पृष्ठ संख्या ज्ञात हो सके। जैसे यदि पूर्ण सूची 50 पृष्ठों की हो तो प्रथम पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या 1/50, द्वितीय पृष्ठ पर 2/50 ..... और इसी प्रकार आगे अंकित की जाएगी।

3. निर्वाचक नामावली की अन्तिम सूची प्रकाशित हो जाने के उपरान्त उसमें किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कटिंग किया जाना अपरिहार्य होता है तो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त कटिंग सत्यापित होनी चाहिए।

अध्याय-8

fuokpd ukekofy;k dk dEI;wVjhdj.k

निर्वाचक नामावली के कम्प्यूटरीकरण का कार्य जनपद द्वारा ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड में आयोग के सर्वर पर सीधे किया जाएगा। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा विकसित किये गये साफ्टवेयर को समस्त जनपदों को निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व उपलब्ध कराया जाएगा तथा उसके सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं संचालन सम्बन्धी प्रशिक्षण आयोग द्वारा दिया जाएगा। कम्प्यूटरीकरण सम्बन्धीकार्यवाही निम्नवत् की जाएगी :–

(1) निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण से सम्बन्धित अधिकारियों जैसे सेक्टर आफिसर, पर्यवेक्षक तथा बी0एल0ओ0 के नियुक्ति सम्बन्धी सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट में फीड किया जाएगा ताकि वेबसाइट के माध्यम से उन्हें नियुक्ति पत्र तथा पहचानपत्र प्रिन्ट कर उपलब्ध कराया जा सके और यह सूचना जनसामान्य हेतु उनकी जानकारी के लिये उपलब्ध हो सके। किसी भी दशा में उनके नियुक्ति–पत्र व पहचान–पत्र हस्तलिखित/टाइप कराकर निर्गत नहीं किए जाएंगे।

(2) जनपदों द्वारा आयोग के केन्द्रीकृत डेटाबेस में प्रत्येक नगरीय निकाय के निर्वाचकों के विवरण को मतदान स्थलवार serialize किया जाएगा। तत्पश्चात् उसकी पी0डी0एफ0 फाइल तैयार की जाएगी। इस प्रकार तैयार की गई पी0डी0एफ0 फाइलों से एक लेजर प्रिन्ट तथा एक फोटोकापी तैयार कराई जाएगी। इस निर्वाचक नामावली की एक प्रति नियुक्त बी0एल0ओ0 को वृहद् पुनरीक्षण कार्य हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली पूर्व में तैयार कराई गई पंचायत निर्वाचक नामावली–2015 की भाँति ही ऑन–लाइन प्रक्रिया अपनाकर तैयार कराई जाएगी।

निर्वाचकों के विवरणों को फीड किए जाने एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उनका सत्यापन किए जाने के सम्बन्ध में पासवार्ड एवं उनके संचालन सम्बन्धी निर्देश पृथक् से जारी किए जाएंगे।

(4) निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्त बी0एल0ओ0 द्वारा घर–घर सर्वे कर लेने के पश्चात् गणना कार्डों के आधार पर उनकी पाण्डुलिपियाँ तैयार की जाएंगी। तत्पश्चात् जनपद स्तर पर चयनित फर्म द्वारा पाण्डुलिपियों में अंकित निर्वाचकों के विवरण को फीड किया जाएगा। निर्वाचकों के विवरण की फीडिंग पूर्ण हो जाने के पश्चात् प्रूफ रीडिंग किए जाने हेतु उनका प्रिन्ट आउट निकाला जाएगा। प्रूफ रीडिंग में पाई जगई त्रुटियों को संशोधित किए जाने के पश्चात् निर्वाचक नामावली का अनन्तिम प्रकाशन किए जाने हेतु उनका प्रिन्ट आउट निकाला जाएगा।

(5) निर्वाचक नामावली के अनन्तिम प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त दावे/आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। तत्पश्चात् दावे एवं आपत्तियों में प्राप्त निर्वाचकों के विवरण को जाँचोपरान्त पुनः फीड कराकर उसकी प्रूफ रीडिंग किए जाने हेतु प्रिन्ट आउट निकाला जाएगा।

(6) निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन किए जाने से पूर्व प्रत्येक नगरीय निकायों के मतदान केन्द्रों तथा मतदान स्थलों का पुनः निर्धारण नियमानुसार किया जाएगा ताकि निर्वाचक नामावलियों के अन्तिम प्रकाशन में निर्धारित किए गए मतदान केन्द्रों तथा मतदान स्थलों को समाहित किया जा सके।

(7) दावे/आपत्तियों में प्राप्त निर्वाचकों के विवरणों की प्रूफ रीडिंग में पाई गई त्रुटियों को संशोधित किए जाने के पश्चात् प्रत्येक नगरीय निकाय की निर्वाचक नामावलियों को मतदान स्थलवार क्रमांकित (serialize) किया जाएगा। तत्पश्चात् उनकी पी0डी0एफ0 पत्रावलियाँ तैयार कराकर एवं

उनका नियमानुसार प्रिन्ट आउट लेकर निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कराया जाएगा।

(8) जनपदों द्वारा निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण के पश्चात् प्राप्त निर्वाचकों के विवरणों को फीड कराए जाने, उनके प्रिन्टआउट निकलवाने तथा फोटो स्टेट कराए जाने हेतु समस्त व्यवस्थाएं जनपद/स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जाएंगी।

उक्त वर्णित सभी कार्यों को जनपद स्तर पर ससमय पूर्ण कराये जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्थायें निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से पूर्व की जानी अत्यावश्यक हैं–

Ø-l-	dk;l dk fooj.k	Tkuin Lrj ij dh tku okyh 0;oLFkk;a
1.	कम्प्यूटरएवं सहवर्ती उपकरणों की व्यवस्था	नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन–2017 की निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण के दौरान परिवर्धन, अपमार्जन एवं संशोधन की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक जनपद में अतिरिक्त कम्प्यूटर सिस्टम्स, लेजर प्रिंटर्स एवं यू0पी0एस0 की आवश्यकता पड़ेगी।सामान्यतः यह प्रयासकियाजाए कि उक्त आवश्यकता जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों में उपलब्ध कम्प्यूटर सिस्टम्स, लेजर प्रिंटर्स एवं यू0पी0एस0 से पूरी होजाए तथापि यदि ऐसा संभव न हो तो इसकी व्यवस्था जनपद स्तर पर लीज के आधार पर कर ली जाए और की गयी व्यवस्था से आयोग को बिना किसी विलम्ब के अवगत कराया जाए।

2.	नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त विवरणों की डेटा फीडिंग हेतु कार्यस्थल का निर्धारण एवं कार्यस्थल सम्बन्धी अन्य व्यवस्थायें	आगामी नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन–2017 में निर्वाचक नामावली के विवरण की डेटा फीडिंग ऑनलाइन मोड में की जाएगी ताकि निर्वाचक नामावली की तैयारी से सम्बन्धित डेटा सीधे आयोग के डेटाबेस में अपडेट हो सके। अतः उक्त कार्य हेतु उपयुक्त कार्यस्थलों का निर्धारण जनपद स्तर पर किया जाना है तथा उन कार्यस्थलों का चयन करते समय यह ध्यान रखा जाए कि उसके नजदीक एन0आई0सी0 की SWAN कनेक्टिविटी अवश्य उपलब्ध हो।यदि एन0आई0सी0 कीSWAN कनेक्टिविटी उपलब्ध न हो तो बी0एस0एन0एल0/अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से इन्टरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाए।
3.	विद्युत पावर बैकअप की व्यवस्था	नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण के दौरान जनपद में चयनित कार्यस्थल पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति का होना अत्यावश्यक है।अतः कम्प्यूटर सिस्टम्स, लेजर प्रिंटर्स एवं यू0पी0एस0 को निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने हेतु जनपद स्तर पर जनरेटर तथा यू0पी0एस0 आदि की आवश्यकता का आंकलन करते हुये व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए।
4.	निर्वाचक नामावलियों के लेजर प्रिंटआउट कराये जाने हेतु व्यवस्था	जनपद स्तर पर तैयार की जाने वाली नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों का निम्नलिखित stages पर लेजर प्रिंटआउट कराये जाने हेतु

		नियमानुसार दर निर्धारित कर ली जाए– 1– परिवर्धन/अपमार्जन/संशोधन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् प्रूफ रीडिंग हेतु प्रिंट आउट निकालना। 2– प्राप्त दावे/आपत्तियोंके निस्तारण के पश्चात् परिवर्धन/ अपमार्जन/ संशोधन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् प्रूफ रीडिंग हेतु प्रिंट आउट निकालना। 3– निर्वाचक नामावलियों के अन्तिम प्रकाशन हेतु प्रिंट आउट निकालना। 4– निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात् होने वाले संक्षिप्त पुनरीक्षण के उपरान्त परिवर्धित/अपमार्जित/संशोधित मतदाताओं के विवरण के प्रिंटआउट प्रत्येक नगरीय निकाय हेतु मतदान स्थलवार निकालना। **ukV&** निर्वाचक नामावलियों के अन्तिम प्रकाशन के लिए प्रिंटआउट निकालने हेतु साफ्टवेयर में निम्नलिखित प्रावधान कर दिए गए हैं– (i) निर्वाचक नामावली के प्रत्येक पृष्ठ पर 100 मतदाता होने आवश्यक हैं। (ii) प्रत्येक पृष्ठ के दोनों तरफ निर्वाचक नामावली की प्रिंटिंग की जाए। (iii) मतदान स्थल के बदलने पर निर्वाचक नामावली की प्रिंटिंग नए पृष्ठ से प्रारम्भ की जाए।

5.	निर्वाचक नामावलियों की फोटोकापी कराए जाने की व्यवस्था	नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन–2017 के प्रयोगार्थ आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार तैयार नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों की फोटोकापी कराए जाने के लिये पृष्ठ के एक तरफ तथा दोनों तरफ की दरें निर्धारित करने हेतु जनपद स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाए तथा यह प्रयास किया जाए कि निर्वाचक नामावलियों की फोटोकापी कराए जाने का कार्य अपने जनपद अथवा अपने निकटतम जनपद से ही कराया जाए।

उक्त के अतिरिक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण से संबंधित समस्त कार्य जैसे डेटा फीडिंग एवं मतदाता सूचियों के लेजर प्रिंटआउट तथा फोटोकापी आदि का कार्य जनपद अपने स्तर पर निविदा के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम दरों पर एक ही फर्म से करा सकते हैं।

डेटा फीडिंग हेतु बी0एल0ओ0 द्वारा गणना कार्य पूर्ण किए जाने के उपरान्त तीन प्रतियों में पाण्डुलिपि (परिवर्धन/विलोपन/संशोधन की अलग–अलग) तैयार कर एक प्रति कम्प्यूटरीकरण हेतु फर्म को उपलब्ध कराना होगा तथा डेटा फीडिंग के उपरान्त उनकी प्रूफ रीडिंग हेतु प्रिन्टआउट प्राप्त कर बी0एल0ओ0 द्वारा प्रिंटआउट की जांच की जाएगी तथा डेटा शुद्ध कराया जाएगा।

निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण कार्यक्रम में मतदाताओं की सुविधा हेतु आयोग की वेबसाइट के माध्यम से वेब रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान की जा रही है जिसका व्यापक प्रचार प्रसार जनसामान्य की जानकारी हेतु जनपद स्तर पर कराया जाना है। वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त होने वाली सभी प्रविष्टियों के प्रिंटआउट सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सीधे कम्प्यूटर से प्राप्त कर बी0एल0ओ0 को जाँच हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे तथा जांचोपरान्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फार्म स्वीकार किये जाएंगे। ऐसे फार्मों की अलग से प्रविष्टि नहीं करायी जाएगी।

वृहद् पुनरीक्षण के दौरान प्रयोग में लाई जा रही निर्वाचक नामावली में जिन निर्वाचकों के नाम दर्ज हैं और वे स्वेच्छा से अपना मोबाइल नम्बर तथा आधार कार्ड नम्बर दर्ज कराना चाहते हैं, की सूचना प्ररूप (संलग्नक–6ख) में संकलित की जाएगी। मोबाइल नम्बर तथा आधार कार्ड की प्राप्त सूचनाओं को आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर में डेटा फीडिंग के दौरान फीड किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–38 के अनुसार :–

(1) कोई भी व्यक्ति एक ही नगर में एक से अधिक वार्डों के लिये निर्वाचक नामावली में पंजीयन का पात्र न होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार पंजीकृत होने का पात्र न होगा।

(3) कोई व्यक्ति किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में पंजीयन का पात्र न होगा, यदि उसका नाम किसी अन्य नगर या किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, संक्रमणशील क्षेत्र, छावनी या ग्राम पंचायत से संबंधित किसी निर्वाचक नामावली में दर्ज हो जब तक कि वह यह दर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से काट दिया गया हो।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–12ङ के अनुसार :–

(1) कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में, या एक ही वार्ड की निर्वाचक नामावली से एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार न होगा।

(2) कोई व्यक्ति किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा, यदि उसका नाम किसी नगर, अन्य नगर पालिका क्षेत्र, छावनी या ग्राम पंचायत का क्षेत्र, से सम्बन्धित किसी निर्वाचक नामावली में दर्ज हो, जब तक कि वह यह दर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से काट दिया गया है।

उपर्युक्त उल्लिखित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जहां तक पंचायत अथवा नगरीय निकाय चुनाव का संबंध है सिर्फ एक ही निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार है और यदि उसका नाम एक से अधिक निर्वाचक नामावलियों में दर्ज है तो ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–36 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। धारा–37 और 38 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाए, पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और वार्ड के क्षेत्र में सामान्य तौर से निवासी हो, वार्ड की निर्वाचक नामावली में पंजीयन का पात्र होगा।

स्पष्टीकरण–(एक) किसी व्यक्ति के संबंध में केवल इसी कारण कि वार्ड में उसका किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा है, यह न समझ लिया जाएगा कि वह उस वार्ड में सामान्य तौर से निवासी है।

(दो) अपने सामान्य निवास स्थान से अपने आपको अस्थाई रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के संबंध में केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा कि वह वहाँ सामान्य तौर से निवासी नहीं रहा।

(तीन) संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में वार्ड से अनुपस्थित रहने मात्र के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस वार्ड का सामान्य तौर से निवासी होने से परिविरत नहीं समझा जाएगा।

(चार) यह विनिश्चय करने के लिए कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का सामान्य तौर से निवासी समझा जाए या न समझा जाए, किन्हीं अन्य तथ्यों पर, जिन्हें विहित किया जाए, विचार किया जाएगा।

(पाँच) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति सामान्य तौर से कहाँ का निवासी है तो उस प्रश्न का अवधारण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश में किया जाएगा।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 12–ग के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। धारा 12–घ और 12–ङ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाए, पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और जो वार्ड में सामान्य तौर से निवासी हो, वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण–(i) किसी व्यक्ति के संबंध में केवल इसी कारण कि वार्ड में उसका किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा है, यह न समझ लिया जाएगा कि वह उस वार्ड में सामान्य तौर से निवासी है।

(ii) अपने सामान्य निवास स्थान से अपने आपको अस्थाई रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के संबंध में केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा कि वह वहाँ सामान्य तौर से निवासी नहीं रहा।

(iii) संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में वार्ड से अनुपस्थित रहने मात्र के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का सामान्य तौर से निवासी होने से परिविरत नहीं समझा जाएगा।

(iv) यह विनिश्चय करने के लिए कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का सामान्य तौर से निवासी समझा जाए या न समझा जाए, किन्हीं अन्य तथ्यों पर, जिन्हें विहित किया जाए, विचार किया जाएगा।

(v) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति सामान्य तौर से कहाँ का निवासी है तो उस प्रश्न का अवधारण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश में किया जाएगा।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति यदि एक से ज्यादा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की निर्वाचक नामावलियों में निर्वाचक के रूप में दर्ज है तो उसका नाम उस निर्वाचक नामावली में वैध माना जाएगा, जहां वह सामान्य रूप से निवास कर रहा है।

उपर्युक्त के क्रम में नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व आयोग द्वारा डी–डुप्लीकेशन साफ्टवेयर के माध्यम से डुप्लीकेट मतदाताओं को चिह्नित करते हुए उनका विवरण पी0डी0एफ0 के रूप में जनपदों को उपलब्ध कराया जाएगा। जनपद स्तर पर इन पी0डी0एफ0 पत्रावलियों के प्रिंटआउट निकाल कर बी0एल0ओ0 द्वारा निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान उनका सत्यापन किया जाएगा एवं पात्र मतदाताओं को प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर नगरीय निकाय निर्वाचक नामावली या पंचायत निर्वाचक नामावली में यथोचित स्थान पर रखते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

v/;k;&9

vfUre ijd lfp;k dh r;kjh vkj dEI;wVjhdj.k

दावे एवम् आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् पूरक सूचियां निम्नांकित चार शीर्षकों में वर्गीकृत करके तैयार की जाएंगी। यह कार्य सम्बन्धित क्षेत्रें के बी0एल0ओ0 एवं पर्यवेक्षकों द्वारा सुन्दर व स्वच्छ हस्तलिपि में तैयार कराया जाएगा तत्पश्चात् उनकी कम्प्यूटर में डाटा इन्ट्री करायी जाएगी। उनका एक–एक प्रिन्ट लेकर सम्बन्धित बी0एल0ओ0 एवं पर्यवेक्षकों से उनकी प्रूफ रीडिंग करायी जाए। इसके उपरान्त प्रूफ रीडिंग में पायी गयी त्रुटियों को शुद्ध कराकर कम्प्यूटर में भी प्रविष्टियों को संशोधित करा लिया जाए।

1- **ifjo/kku lwph** (खण्ड–क)–परिवर्धन सूची से तात्पर्य यह है कि निर्वाचक नामावली में छूटे हुए अर्ह व्यक्तियों के नाम कोसम्मिलित किये जाने की सूची (परिशिष्ट–18)।

2- **la'kks/ku lwph** (खण्ड–क)–संशोधन सूची से तात्पर्य यह है कि निर्वाचक नामावली में निर्वाचकों की प्रविष्टि में किसीप्रकार का संशोधन किया गया हो तो उसकी सूची ¼परिशिष्ट–19)।

3- **foyksiu lwph** (खण्ड–क)–विलोपन सूची का तात्पर्य यह है कि निर्वाचक नामावली से यदि कुछ व्यक्तियों का नाम विलोपित कर दिया गया हो उसकी सूची (परिशिष्ट–20)।

4- **ifjo/kku lwph** (खण्ड–ख)–परिवर्धन सूची खण्ड–ख से तात्पर्य नये मकानों/छूटे हुए मकानों में साधारण रूप से निवास कर रहे अर्ह निर्वाचकों की सूची से है (परिशिष्ट–21)।

ऐसी सूचियों का अन्तिम प्रिन्ट लेकर उनके प्रत्येक पृष्ठ पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मुहर लगाकर हस्ताक्षर किये जाएंगे। यह सूचियां निर्वाचक नामावलियों की पूरक सूचियां होंगी और इन्हें अन्तिम रूप से कम्प्यूटर में अनन्तिम मूल निर्वाचक नामावलियों में यथा स्थान समाहित करा दिया जाएगा। एकीकृत अन्तिम निर्वाचक नामावलियों का 01 लेजर प्रिन्ट तैयार कराया जाएगा। उसके उपरान्त उनसे इन नामावलियों की 30–30 फोटो स्टेट प्रतियाँ तैयार करायी जाएंगी।

v/;k;&10

fuokpd ukekofy;k dk vfUre izdk'ku

निर्धारित अवधि में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षरोपरान्तनिर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन की सूचना प्रदर्शित करके निर्वाचक नामावली का अन्तिम रूप से प्रकाशन किया जाएगा जिसकी सूचना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारीकार्यालय, सम्बन्धितनिकाय के कार्यालय व जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी।

vihy

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से क्षुब्ध व्यक्ति जिलामजिस्ट्रेट को 07 दिनों में अपील कर सकता है। ऐसी अपील परिशिष्ट–24 परदिये गये प्रपत्र में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय की प्रति के साथ निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सन्दर्भित नियमावली के नियम–20 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हुए प्रस्तुत की जाएगी। अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने तथा ऐसी जॉच करने के पश्चात् जैसा कि उक्त अधिकारी ठीक समझे, वह अपील में समुचित आदेश पारित करेगा। यदि अपील मान्य की जाती है तो वह सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आदेश देगा कि वह निर्वाचक नामावली में उसके विनिश्चय के अनुसार आवश्यक संशोधन करे। अपील लम्बित होने के कारण निर्वाचक नामावली का प्रकाशन बाधित न होगा।

निर्वाचक नामावली अनन्तिम रूप से प्रकाशित होने के उपरान्त प्राप्त दावे/आपत्तियों के निस्तारण के बाद तैयार करायी गयी निर्वाचक नामावली को आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को पुनः पूर्व में निर्दिष्ट स्थानों पर अन्तिम रूप से प्रकाशित किया जाएगा।

v/;k;&11

fuokpd ukekoyh dh vfHkj{kk vkj ifjj{k.k

इस प्रकार उपर्युक्तानुसार तैयार की गई निर्वाचक नामावली, निर्वाचक गणना कार्ड, मतदान स्थलों का रेखाचित्र (नजरी नक्शा) पाण्डुलिपि व अन्य अभिलेख तथा प्राप्त आवेदन पत्रों और अभिलिखित विनिश्चयों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में निकायवार, वार्डवार व मतदान स्थलवार सुरक्षित रखा जाएगा। किसी निकाय की निर्वाचक नामावली तब तक सुरक्षित रखी जाएगी जब तक कि अगले पुनरीक्षण के पश्चात् नई नामावली तैयार न हो जाए।

प्रत्येक व्यक्ति को रूपया एक प्रति पृष्ठ की फीस का भुगतान करने पर उपर्युक्तानुसार तैयार की गई निर्वाचक नामावली की प्रतियाँ प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) के निर्देश पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

mÙkj izn'k uxj fuxe ¼fuokpd ukekoyh dk r;kj fd;k tkuk vkj iqujh{k.k½ fu;ekoyh] 1994

चूँकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उसके लिये यह आवश्यक हो गया है कि तत्काल नियमावली बनायी जाये:

अतएव, अब उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 23 की उपधारा (3) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 39 के साथ पठित 1959 के उक्त अधिनियम की धारा 540 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्–

izkjfEHkd

1- lf{kIr uke] izorZu vkj izkjEHk&(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह उत्तर प्रदेश में समस्त नगर निगमों पर लागू होगी।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनाँक को प्रवृत्त होगी।

2- ifjHkk"kk;&इस नियमावली में,–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है,

(ख) "1950 का अधिनियम" का तात्पर्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से है,

(ग) "विधान सभा" का तात्पर्य राज्य विधान सभा से है,

(घ) "मुख्य निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य राज्य में अधिनियम के अधीन निर्वाचक नामावली के तैयार करने और पुनरीक्षण के पर्यवेक्षण के लिये अधिनियम की धारा 39 के अधीन आयोग

द्वारा इस रूप में पदाभिहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) से है,

(ङ) "आयोग" का तात्पर्य निर्वाचन आयोग से है,

(च) "निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" का तात्पर्य निगम में किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली को तैयार करने उसको प्रकाशित और पुनरीक्षित करने के लिये आयोग द्वारा इस रूप में पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट अधिकारी से है,

(छ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्रों से है,

(ज) "नामावली" का तात्पर्य निर्वाचक नामावली से है।

3- uxj ikfydk }kjk 0;; dk ogu fd;k tkuk&किसी नगर निगम क्षेत्र में नामावली तैयार, प्रकाशित और पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में उपगत व्यय राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशित के सिवाय संबंधित नगर निगम पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दी गयी रीति से और उस सीमा तक भारित होंगे और उससे वसूली योग्य होंगे।

4- fuokpd jftLVhdj.k vf/kdkjh dh lgk;rk&निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, आयोग द्वारा इस निमित्त किये गये, किसी निबन्धन के अधीन रहते हुए, वार्ड के लिये निर्वाचक नामावली तैयार और पुनरीक्षित करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को, जैसे वह उचित समझे, सेवायोजित कर सकता है।

ukekoyh dk r;kj fd;k tkuk vkj izdk'ku

5- ukekoyh dk ik:i vkj Hkk"kk&किसी वार्ड की नामावली हिन्दी में देवनागरी लिपि में उस प्रारूप में तैयार की जायेगी जिसमें नामावली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये 1950 के अधिनियम के अधीन तैयार की जाती है।

6- ukekoyh dk r;kj fd;k tkuk&(1) आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए किसी निगम में प्रत्येक वार्ड के लिये नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, 1950 के अधिनियम के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये तत्समय प्रवृत्त

निर्वाचक नामावली को, जहाँ तक उसका संबंध उस वार्ड के क्षेत्र से हो, अंगीकार करते हुए तैयार की जाएगी।प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे वार्ड के लिए नामावली में ऐसे वार्ड के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन करने के लिए अन्तिम दिनांक के पश्चात् और ऐसे निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व कोई परिवर्तन, संशोधन या शुद्धि सम्मिलित नहीं की जायेंगी।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली पर हस्ताक्षर करेगा और अपनी मुहर लगायेगा।

7- ukekoyh d vky[k dk idk'ku&(1) जैसे ही किसी वार्ड के लिये नामावली तैयार हो जाये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उसके आलेख को नगर निगम के कार्यालय पर चिपका कर और उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराके प्रकाशित करेगा।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वार्ड के क्षेत्र में पर्याप्त परिचालन वाले किसी हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करके इस तथ्य को अधिसूचित करेगा कि वार्ड के लिये नामावली प्रकाशित कर दी गयी है और उसकी प्रति का निःशुल्क निरीक्षण कार्यालय समय के दौरान नगर निगम कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उप–नियम (2) में निर्दिष्ट नामावली की प्रति निःशुल्क निरीक्षण के लिये कार्यालय समय के दौरान उपनियम (1) के अधीन इसके प्रकाशन के दिनाँक से सात दिन की अवधि तक उपलब्ध कराई जाएगी।

8- okM dh ukekoyh e ukek dk lfEefyr fd; tku d nko&कोई व्यक्ति–

(क) जिसका नाम वार्ड के क्षेत्र से संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित हो किन्तु वार्ड की नामावली में सम्मिलित नहीं किया गया है, या

(ख) जिसका नाम गलती से किसी अन्य वार्ड की नामावली में सम्मिलित कर लिया गया है, या

(ग) जिसका नाम वार्ड के क्षेत्र से संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में या वार्ड की नामावली में सम्मिलित नहीं किया गया है किन्तु जो उक्त वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अन्यथा अर्ह है, या

(घ) जिसका नाम किसी अनर्हता के कारण वार्ड की नामावली से काट दिया गया है किन्तु जो यह दावा करता है कि उसकी अनर्हता अब दूर हो गई है, अपना नाम वार्ड की नामावली में सम्मिलित किये जाने के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन दे सकता हैः

प्रतिबन्ध यह है कि नियम 7 के उप–नियम (1) के अधीन वार्ड की नामावली के प्रकाशन के दिनाँक से सात दिन के पश्चात् दिये गये आवेदन मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अन्यथा निर्देशित के सिवाय, विचार नहीं किया जायेगाः

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड के लिये सदस्य के निर्वाचन की अपेक्षा करने की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् इस नियम के अधीन किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

9- okMZ dh ukekoyh ls ifof"V;ksa ij vkifÙk;k&कोई व्यक्ति जिसका नाम किसी वार्ड की नामावली में अंकित है, और–

(क) जो ऐसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में अपने बारे में किसी ब्यौरे पर आपत्ति करना चाहता हो और उसकी शुद्धि चाहता हो, या

(ख) जो वार्ड की नामावली में किसी अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने पर इस आधार पर आपत्ति करे कि वार्ड के क्षेत्र से सम्बन्धित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में उस व्यक्ति का नाम सम्मिलित नहीं है, या

(ग) जो वार्ड की नामावली में किसी नाम को रखने पर इस आधार पर आपत्ति करे कि प्रश्नगत व्यक्ति वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अधिनियम की धारा 37 के अधीन अनर्ह हो गया है, नियम 7 के उप–नियम (1) के अधीन वार्ड की नामावली के प्रकाशित होने के दिनाँक से 7 दिन के भीतर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को,

यथास्थिति, प्रविष्टि के ब्यौरे की शुद्धि के लिये या नाम को हटा देने के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है:

10- nkok vkj vkifÙk;kd lEcU/k e C;kj&(1) नियम 8 के अधीन प्रत्येक दावा या आवेदन प्रपत्र 1–क में होगा जिसे यथास्थिति, दावेदार या आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और ऐसे एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा जिसका नाम पहले से ही वार्ड की नामावली के उस भाग में सम्मिलित हो जिसमें दावेदार अपना नाम सम्मिलित कराने का इच्छुक है और उसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस निमित्त पदाभिहित करें, प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) उक्त दावे में जहाँ आवश्यक हो, अर्हताओं सहित वे आधार जिन पर नाम को सम्मिलित किये जाने की मॉग की गई है, दिये जायेंगे।

(3) नियम 9 के खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक आपत्ति प्रपत्र 1–ख में होगी और उसे उप–नियम (1) के अनुसार हस्ताक्षरित किया जायेगा। नियम 9 के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन प्रत्येक आपत्ति, यथास्थिति क्रमशः प्रपत्र 1–ग या 1–घ में होगी और उसे उप–नियम (1) के अनुसार हस्ताक्षरित और प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। प्रपत्र 1–ग या 1–घ में आपत्ति दो प्रतियों में दी जायेगी, जिसकी एक प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जायेगी, जिसके विरूद्ध आपत्ति की जाये।

(4) आपत्ति में उस व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसका नाम सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में वह आपत्ति है, या ब्यौरों को जिनकी शुद्धि चाही गई है, नामावली में दर्ज सभी ब्यौरे और उन आधारों को, जिन पर आपत्ति की गई है, उल्लिखित किया जायेगा।

11- inkfHkfgr vf/kdkjh }kjk izfØ;k&नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन पदाभिहित प्रत्येक अधिकारी नियम 8 और 9 में

निर्दिष्ट आवेदन पत्रों की एक सूची रखेगा और आवेदन–पत्रों को ऐसी अभ्युक्तियों के साथ, यदि कोई हो, जैसी वह उचित समझे, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अग्रसरित कर देगा।

12- dfri; nkoksa vkj vkifÙk;ksa dk vLohÑr fd;k tkuk& नियम 8 या 9 के अधीन कोई आवेदन–पत्र जो इस नियमावली में विहित समय के भीतर या प्रपत्र में या रीति में न दिया गया हो, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा।

13- ukfVl vkj mldh rkehyh&(1) उन मामलों के सिवाय, जिनमें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दावे या आपत्ति की ग्राह्यता से प्रथम दृष्ट्या संतुष्ट हो, प्रत्येक व्यक्ति जिसका दावा या आपत्ति प्राप्त की गयी हो या दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने वाले उसके अभिकर्ताओं पर प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर जिसका नाम सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी है, प्रपत्र–1 में एक नोटिस तामील की जायेगी, जिसमें वह स्थान व समय विनिर्दिष्ट होगा जहाँ और जब दावे या आपत्ति की सुनवाई की जायेगी और उसे या उसके अभिकर्ता को ऐसे साक्ष्य के साथ यदि कोई हो, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता हो, उपस्थित होने का निदेश दिया जायेगा।

(2) उस व्यक्ति को, जिसका नाम सम्मिलित करने के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी है नोटिस के साथ आपत्ति की एक प्रति दी जायेगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन नोटिस, यदि सम्भव हो वैयक्तिक रूप में तामील की जायेगी और वैयक्तिक रूप से तामील न होने पर वार्ड के भीतर सम्बन्धित व्यक्ति के निवास स्थान पर या अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर उसकी एक प्रति चिपकाकर तामील की जायेगी।

(4) वैयक्तिक या अन्यथा तामीली का प्रमाण पत्र ऐसी तामील के तथ्य का निश्चायक प्रमाण पत्र समझा जायेगा।

14- nkoksa vkj vkifÙk;ksa&निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रस्तुत किये गये प्रत्येक दावे या आपत्ति की, जिसके संबंध में नोटिस

दी गई हो संक्षिप्त जाँच करेगा और उस पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा और अपने विनिश्चय के अनुसार वार्ड की नामावली में कोई वृद्धि, शुद्धि या लोप का आदेश देगा और ऐसी वृद्धि, शुद्धि या लोप तदनुसार किया जायेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड में निर्वाचन के लिये नाम–निर्देशन किये जाने के अन्तिम दिनाँक के पश्चात् और उस निर्वाचन की समाप्ति के पूर्व ऐसी कोई वृद्धि, शुद्धि या लोप नहीं किया जायेगा।

(2) सुनवाई में उस व्यक्ति को जिसे ऐसी नोटिस जारी की गयी हो और किसी अन्य व्यक्ति को, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की राय में उसकी सहायता कर सकता है, उपस्थित होने और सुने जाने का हकदार होगा।

(3) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने विवेकानुसार–

(क) किसी व्यक्ति से जिसे ऐसी नोटिस जारी की गई है, अपने समक्ष स्वयं उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है,

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा शपथ पर साक्ष्य देने की अपेक्षा कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये शपथ दिला सकता है,

fVIi.kh& जाँच के प्रयोजनों के लिये नियम 7 के अधीन प्रकाशित नामावली को शुद्ध माना जायेगा।

(4) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र–2 में दावों और आपत्तियों की एक सूची रखी जायेगी।

15- okMZ ds fy;s ukekoyh dk vfUre izdk'ku& (1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तत्पश्चात् नियम 14 के अधीन अपने विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए संशोधनों की एक सूची तैयार करेगा और नामावली को संशोधनों की सूची के साथ उसकी प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाकर प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसे प्रकाशन पर, संशोधनों की सूची के साथ गठित नामावली, वार्ड की निर्वाचक नामावली होगी।

16- fuokpd jftLVhdj.k vf/kdkjh }kjk l:'kk/ku&निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समय–समय पर अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (2) की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

(2) आयोग के किसी निदेश के अधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी भी समय नामावली में किसी लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी त्रुटि को शुद्ध करने और दोहरी प्रविष्टियों को निकालने का आदेश दे सकता है और तदनुसार ऐसी शुद्धि या निकालने की कार्यवाही की जायेगी।

17- l:'kk/kuk vkfn dk fdl idkj fd;k tk;xk&अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (5) के अधीन किसी वार्ड की नामावली में शुद्धि उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से 1950 के अधिनियम के अधीन निर्वाचक नामावलियों में शुद्धियाँ की जाती हैं।

(2) मतदान के लिए अनर्ह व्यक्तियों के नामों का काटा जाना और अधिनियम की धारा 37 के अधीन ऐसी अनर्हता समाप्त होने के पश्चात् ऐसे नामों का पुनः स्थापन यथा सम्भव उस रीति से किया जायेगा जो 1950 के अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन नामों को काटने और पुनः स्थापन के लिये विहित किया जाये।

(3) नियम 14 और नियम 16 के उप नियम (2) के अधीन आदेशित संशोधनों को इस निमित्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के किसी सामान्य निदेश के अधीन रहते हुए वार्ड की नामावली और संशोधनों की सूची यदि कोई हो, जो उक्त नामावली का भाग हो, में किया जायेगा।

(4) यदि नियम 8 के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह उस व्यक्ति का नाम अन्य वार्ड की नामावली से तत्काल हटा देगा या हटवा देगा।

18- okMk dh iqu% ifjlheu ij ukekoyh dh rS;kjh ds fy, fo'ks"k micU/k&यदि विधि के अनुसार किसी वार्ड का नवीन परिसीमन किया जाये और यदि ऐसे वार्ड की नामावली तैयार किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता हो, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी यह निदेश दे सकता है कि उसे निम्नलिखित प्रकार से तैयार किया जायेगाः–

(क) ऐसे वर्तमान वार्डों या उनके भागों को जो नये वार्ड के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट हों, की नामावलियों को मिलाकर, और

(ख) इस प्रकार पूरी की गयी नामावली की व्यवस्था क्रम संख्या और शीर्षकों में समुचित परिवर्तन करके।

(2) इस प्रकार तैयार की गई नामावली को नियम 7 में विनिर्दिष्ट रीति से प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे प्रकाशन पर यह नये वार्ड की नामावली होगी।

19- okM dh ukekoyh dk iqujh{k.k&(1) किसी वार्ड की नामावली अधिनियम की धारा 40 के अधीन या तो विस्तारपूर्वक या संक्षिप्ततः या अंशतः विस्तारपूर्वक और अंशतः या संक्षिप्ततः जैसा आयोग निर्दिष्ट करे, पुनरीक्षित की जायेगी।

(2) जहाँ किसी वर्ष में ऐसी नामावली विस्तारपूर्वक पुनरीक्षित की जानी हो वहाँ वह नये सिरे से तैयार की जायेगी और नियम 3 से 16 तक उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे वार्ड की नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(3) जहाँ किसी वर्ष में, ऐसी नामावली संक्षिप्ततः पुनरीक्षित की जानी हो वहाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी सूचना के आधार पर जो सुगमता से उपलब्ध हो, नामावली के सुसंगत भाग के लिये संशोधनों की एक सूची तैयार करवायेगा और संशोधनों की सूची के साथ नामावली के आलेख को प्रकाशित करवायेगा और नियम 6 से 16 तक के उपबन्ध ऐसे पुनरीक्षण के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे

जैसे वे किसी वार्ड की नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(4) जब उपनियम (2) के अधीन पुनरीक्षित नामावली के आलेख के या उपनियम (3) के अधीन नामावली और संशोधनों की सूची के प्रकाशन और उपर्युक्त उपनियम (2) या (3) के साथ पठित नियम 15 के अधीन उनके अन्तिम प्रकाशन के बीच किसी समय अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी वार्ड की नामावली में किन्हीं नामों को सम्मिलित किये जाने का निदेश दिया जाये, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जब तक उसकी राय में ऐसे नामों को सम्मिलित किये जाने में कोई विधिमान्य आपत्ति न हो, वार्ड की पुनरीक्षित नामावली में उन नामों को सम्मिलित करवाएगा।

20- vkn'kk d fo:) vihy&(1) नियम 13, 14, या 19 के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरूद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जायेगीः

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ अपील करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति ने उस मामले पर, जो अपील की विषयवस्तु है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसको अभ्यावेदन करने के अपने अधिकार का लाभ नहीं उठाया है, वहाँ अपील नहीं की जा सकेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक अपीलः–

(क) अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होगी,

(ख) विनिश्चय के दिनाँक से सात दिन के भीतर अपील अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी,

(ग) आदेश की प्रति जिसके विरूद्ध की जाये और पाँच रूपये शुल्क के साथ, जो–(एक) न्यायिकेतर स्टाम्प द्वारा, या

(दो) राजकीय, कोषागार में जमा करके और ऐसी जमा की रसीद संलग्न करे, या

(तीन) ऐसी अन्य रीति से जैसा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निदेशित किया जाये, प्रस्तुत की जायेगी।

(3) इस नियम के अधीन केवल अपील प्रस्तुत किए जाने का यह प्रभाव न होगा कि कोई ऐसा कार्य रोक दिया जाए या स्थगित कर दिया जाए जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियम 15 के अधीन किया जाता है।

(4) अपील अधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय अन्तिम होगा, किन्तु जहाँ तक वह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय को उलटता है या उपान्तरित करता है वहाँ तक वह अपील में विनिश्चय के दिनाँक से ही प्रभावी होगा।

(5) पूर्वगामी उपनियमों के अधीन रहते हुए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली में ऐसे संशोधन करवायेगा जैसे इस नियम के अधीन अपील अधिकारी के विनिश्चय को प्रभावी करने के लिये आवश्यक हो।

21- ukekofy;k dh vof/k&नियम 6 के उपबन्धों के अधीन तैयार की गयी किसी वार्ड की नामावली नियम 15 के अधीन उसके प्रकाशित होने पर और निमय 16, 18 और 19 के अधीन उसके किये गये संशोधनों, पुनरीक्षणों आदि के अधीन रहते हुए प्रवृत्त रहेगी जब तक वार्ड के लिए तत्पश्चात् तैयार की गयी नामावली प्रवृत्त न हो जाये।

22- ukekoyh vkfn dh vfHkj{kk vkj ifjj{k.k&(1) नियम 8 के अधीन किये गये सभी दावे और नियम 9 के अधीन की गयी सभी आपत्तियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उन पर अभिलिखित निश्चयों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान पर जैसा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये वार्ड की नामावली के अगले पुनरीक्षण तक

या नई तैयार की गई नामावली के प्रवृत्त होने तक, जो भी पहले हो, रखा जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड की नामावली के अतिरिक्त उसकी प्रतियाँ उतनी संख्या में जितनी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में और नगर निगम के कार्यालय में रखी जायेगी। इन प्रतियों को मूल नामावली में किये गये संशोधनों के अनुसार समय–समय पर संशोधित किया जायेगा।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रतियों को जमा करने के पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधि–प्रमाणित किया जायेगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति को उपनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट निर्वाचन पत्रों का निरीक्षण करने और उनकी प्रमाणित प्रतियाँ ऐसी फीस का भुगतान करने पर प्राप्त करने का अधिकार होगा जैसी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

(5) प्रत्येक वार्ड की निर्वाचक नामावली की मुद्रित प्रतियाँ वार्ड की अगली नामावली के प्रकाशन तक जनता को विक्रय के लिए ऐसे मूल्य पर जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) किसी वार्ड की नामावली के प्रकाशन पर नयी नामावली के प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवृत्त नामावली को उतने वर्ष के लिए जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, संबंधित नगर निगम के अभिलेखों में जमा रखा जायेगा।

i|i= 1
ukfV l

(नियम 13 देखिये)

सेवा में,

.... दावेदार / दावेदार का अभिकर्ता

.... आपत्तिकर्ता / आपत्तिकर्ता का अभिकर्ता

....

विरोधी पक्षकार

नोटिस दी जाती है कि नगर निगम के वार्ड .... की नामावली के सम्बन्ध में, आपके द्वारा आपके नाम को सम्मिलित किये जाने के लिये प्रस्तुत दावे / आपत्ति की सुनवाई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष दिनांक .... को स्थान (समय) पर होगी, आपको निदेश दिया जाता है कि आप सुनवाई के समय, ऐसे साक्ष्य जिसे आप प्रस्तुत करना चाहें, उपस्थित हों।

*निर्वाचक नामावली में आपका नाम सम्मिलित किये जाने पर जो आपत्ति की गई है उसकी एक प्रति साथ में भेजी जाती है।

निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी

नोटिस मिली

*आपत्ति की प्रति प्राप्त हुई

जिस व्यक्ति पर नोटिस तामील की जायेगी उसके हस्ताक्षर

*यदि नोटिस दावेदार या आपत्तिकर्ता या इनमें से किसी के अभिकर्ता पर तामील की जाये, तो इसे काट दिया जाये।

तामील करने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट ....

....

(नियम 8 और 10 देखिए)

uke lfEefyr fd;s tkus d fy, nkok@vkosnu&i=

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
वार्ड

मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा नाम उपर्युक्त वार्ड के भाग संख्या में सम्मिलित किया जाए।

से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली

मेरा नाम (पूरा) .....

मेरे पिता/माता/पति का नाम .....

मेरे निवास स्थान का ब्यौरा निम्नलिखित है–

मकान संख्या .....

मार्ग/मुहल्ला .....

वार्ड .....

नगर .....

मैं एतद्द्वारा अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ कि–

(एक) मैं भारत का नागरिक हूँ .....

(दो) मेरी आयु गत पहली जनवरी को ..... वर्ष और .....मास थी।

(तीन) मैं ऊपर दिये पते पर मामूली तौर से निवासी हूँ

(चार) मैंने किसी अन्य वार्ड की नामावली में अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन नहीं किया है।

(पाँच) मेरा नाम इस या किसी अन्य वार्ड की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है।

मेरा नाम .... वार्ड की निर्वाचक नामावली में नीचे उल्लिखित पते के अधीन सम्मिलित किया गया हो और यदि ऐसा ही है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसको उक्त निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाये।

स्थान ....

दिनांक ....

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

मैं निर्वाचक नामावली के उस भाग में सम्मिलित एक निर्वाचक हूँ जिसमें दावेदार ने अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन किया है अर्थात् .... से सम्बन्धित भाग संख्या .... जिसमें मेरी क्रम संख्या .... है। मैं इस दावे का समर्थन करता हूँ और इस पर प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

निर्वाचक के हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

ii= 1&[k

(नियम 9 और 10 देखिये)

fdlh ifof"V e fn; x; C;kj ij vkifÙk

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

.... वार्ड

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि मुझसे संबंधित जो वार्ड संख्या .... की नामावली के भाग .... में क्रम–संख्या .... पर .... इस रूप में है, शुद्ध नहीं है। इसे शुद्ध किया जाये जिससे ब्यौरे निम्न प्रकार से पढ़े जायें–

....

....

स्थान ....

दिनांक ....

निर्वाचक का हस्ताक्षर या
अंगूठे का निशान

i:i= 1&x

(नियम 9 और 10 देखिये)

uke lfEefyr fd;s tkus ij vkifÙk

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

.....वार्ड

महोदय,

वार्ड संख्या ..... की नामावली के भाग ..... में क्रम–संख्या ..... पर श्री ..... के नाम को सम्मिलित किये जाने पर निम्नलिखित कारण/कारणों से आपत्ति करता हूँ–

.....

.....

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

इस वार्ड के लिये नामावली कें मेरा नाम निम्न प्रकार से सम्मिलित किया गया है–

पूरा नाम .....

पिता/पति/माता का नाम .....

क्रम– संख्या .....

भाग संख्या .....

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/

अंगूठे का निशान

डाक का पता .....

.....

दिनांक 19.....

मैं वार्ड संख्या .... की नामावली के उसी भाग में सम्मिलित एक निर्वाचक हूँ जिसमें आपत्तिजनक नाम विद्यमान है वह नाम–

अर्थात् .... से सम्बन्धित .... भाग संख्या .... जिसमें मेरी क्रम–संख्या .... है। मैं इस आपत्ति का समर्थन करता हूँ और इस पर प्रतिहस्ताक्षरित करता हूँ।

निर्वाचक के हस्ताक्षर

पूरा नाम ....

i!i= 1&?k

(नियम 9 और 10 देखिये)

uke d! j[ku! ij vkifÙk

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

....वार्ड

महोदय,

वार्ड संख्या .... की नामावली के भाग .... में क्रम–संख्या .... के नाम को रखने पर मैं इस आधार पर आपत्ति करता हूँ कि वह अधिनियम की धारा 12–घ के अधीन उस वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये निम्नलिखित कारण/कारणों से अनर्ह हो गया है–

....

....

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। उस वार्ड के लिये नामावली में मेरा नाम निम्न प्रकार से सम्मिलित किया गया है:

पूरा नाम .....

पिता/पति/माता का नाम .....

क्रम संख्या .....

भाग संख्या .....

आपतिकर्ता के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

डाक का पता .....

दिनांक .....

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं वार्ड संख्या ..... की नामावली के भाग संख्या ..... में क्रम संख्या ..... पर मैं नामांकित किया गया एक निर्वाचक हूँ। मैं इस आपत्ति का समर्थन करता हूँ और उस पर प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

निर्वाचक के हस्ताक्षर/
अंगूठे के निशान

(पूरा नाम) .....

दिनांक .....

¼fu;e 14 ¼4½ nf[k;s½
nkok vkj vkifÙk;k dh lph d fy;s i=

नगर निगम.....................................

वार्ड...

nkok vkj vkifÙk;k dh lph

दावा / आपत्ति की क्रम संख्या	प्रस्तुत करने का दिनांक	दावेदार / आपत्तिकर्ता का नाम	विनिश्चय का दिनांक	परिणाम
1	2	3	4	5

mÙkj izn'k uxj ikfydk ¼fuokpd ukekoyh dk r;kj fd;k tkuk vkj iqujh{k.k½ fu;ekoyh] 1994

vf/klpuk

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उसके लिये यह आवश्यक हो गया है कि तत्काल नियम बनाये जायें। अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 23 की उपधारा (3) और संयुक्त प्रान्त नगर पालिका, अधिनियम, 1916 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1 सन् 1916) की धारा 12–ख की उपधारा (2) के साथ पठित 1916 के उक्त अधिनियम की धारा 296 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्–

ikjfEHkd

1- lf{kIr uke] izorZu vkj ikjEHk&(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 कही जायेगी,

(2) यह उत्तर प्रदेश में सम्पूर्ण नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होगी।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनाँक को प्रवृत्त होगी,

2- ifjHkk"kk;k&इस नियमावली में–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है;

(ख) '1950 का अधिनियम' का तात्पर्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से है;

(ग) 'विधानसभा' का तात्पर्य राज्य विधानसभा से है,

(घ) 'मुख्य निर्वाचन अधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी से है जिसे आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से राज्य में निर्वाचक नामावली के तैयार किये जाने, पुनरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिये मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) के रूप में पदाभिहित किया गया हो,

(ङ) 'आयोग' का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग से है,

(च) 'निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी अधिकारी से है जिसे आयोग ने, राज्य सरकार के परामर्श से, जिले में वार्ड की निर्वाचक नामावली को तैयार करने, पुनरीक्षण और प्रकाशन के लिये नाम निर्दिष्ट या पदाभिहित किया हो,

(छ) 'आकार पत्र' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न आकार पत्रों से है,

(ज) 'नामावली' का तात्पर्य निर्वाचक नामावली से है,

3- uxjikfydk }kjk 0;; dk ogu fd;k tkuk&किसी नगरपालिका क्षेत्र में नामावली के तैयार किये जाने और पुनरीक्षण के संबंध में उपगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निदेशित के सिवाय नगरपालिका–पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दी गयी रीति से और उस सीमा तक भारित होंगे और उसे वसूलीय होंगे।

4- fuokpd jftLVhdj.k vf/kdkjh dh lgk;rk&निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, आयोग द्वारा इस निमित्त किये गये किसी निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, बोर्ड के लिये निर्वाचक नामावली के तैयार किये जाने और पुनरीक्षण के लिये ऐसे व्यक्तियों को जैसा वह उचित समझे, सेवायोजित कर सकता है।

5- ukekoyh dk Lo:i vkj Hkk"kk&किसी वार्ड की नामावली हिन्दी में देवनागरी लिपि में उस प्रपत्र में जिसमें नामावली विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र के लिये 1950 के अधिनियम के अधीन तैयार की जाती है, तैयार की जायेगी।

6- ukekoyh dk r;kj fd;k tkuk&(1) आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, प्रत्येक बोर्ड के लिए प्रथम नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, 1950 के अधिनियम के अधीन उक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली को, जहाँ तक उसका संबंध उक्त बोर्ड के क्षेत्र से हो, अंगीकार करते हुए तैयार की जायेगी–

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे बोर्ड के लिये नामावली में ऐसे वार्ड के निर्वाचन के लिये नाम निर्देशन करने के लिये अन्तिम दिनाँक के पश्चात् और ऐसे निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व कोई परिवर्तन, संशोधन या शुद्धि सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर अपनी मुहर लगायेगा।

7- ukekoyh dk izk:i e izdk'ku&(1) किसी वार्ड के लिये नामावली के तैयार हो जाने पर, यथाशीघ्र, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उसकी एक प्रति प्रारूप में नगरपालिका के कार्यालय पर चिपका कर और उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराकर प्रकाशित करेगा।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वार्ड के क्षेत्र में पर्याप्त परिचालन वाले किसी हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करके इस तथ्य को अधिसूचित करेगा कि वार्ड के लिये नामावली प्रकाशित कर दी गयी है और उसकी प्रति का निःशुल्क निरीक्षण कार्यालय समय के दौरान नगरपालिका कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उप–नियम (2) में निर्दिष्ट नामावली की प्रति निःशुल्क निरीक्षण के लिये कार्यालय समय के दौरान प्रकाशन के दिनाँक से सात दिन की अवधि तक उपलब्ध रहेगी–

ukekoyh dk i|ujh{k.k

8- fdlh okM dh ukekoyh e ukek dk lfEefyr fd; tku d nko&कोई व्यक्ति

(क) जिसका नाम वार्ड के क्षेत्र से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित हो किन्तु वार्ड की नामावली में सम्मिलित न किया गया हो, या

(ख) जिसका नाम गलती से किसी अन्य वार्ड की नामावली में सम्मिलित कर दिया गया हो, या

(ग) जिसका नाम वार्ड के क्षेत्र से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में या वार्ड की नामावली में सम्मिलित न हो किन्तु जो वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अन्यथा अर्ह हो, या

(घ) जिसका नाम किसी अनर्हता के कारण वार्ड की नामावली से काट दिया गया हो, किन्तु जो यह दावा करे कि उसकी अनर्हता को अब दूर कर दिया गया है, अपना नाम वार्ड की नामावली में सम्मिलित कराने के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन दे सकता है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि आवेदन पर नियम–7 के उप–नियम (1) के अधीन वार्ड की नामावली के प्रकाशन होने के दिनाँक से सात दिन के पश्चात् मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अन्यथा निर्देशित के सिवाय, विचार नहीं किया जायेगा–

किन्तु अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड के लिये सदस्य के निर्वाचन की अपेक्षा करने की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् इस नियम के अधीन किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

9- okM dh ukekoyh e ifof"V;k ij vifRr;k&कोई व्यक्ति जिसका नाम किसी वार्ड की नामावली में अंकित है, और–

(क) जो ऐसी प्रविष्टि के संबंध में किसी ब्यौरे पर आपत्ति करना चाहता हो और उसकी शुद्धि चाहता हो, या

(ख) जो वार्ड की नामावली में किसी अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने पर इस आधार पर आपत्ति करे कि वार्ड से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में उस व्यक्ति का नाम सम्मिलित नहीं है, या

(ग) जो वार्ड की नामावली में किसी नाम को रखने पर इस आधार पर आपत्ति करे कि प्रश्नगत व्यक्ति वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अधिनियम की धारा 12–घ के अधीन अनर्ह हो गया है, नियम 7 के उप नियम (1) के अधीन वार्ड की नामावली के प्रकाशित होने के दिनाँक से सात दिन के भीतर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, यथास्थिति, प्रविष्टि के ब्यौरे की शुद्धि के लिये या नाम को हटा देने के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है–

प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड के लिये सदस्य के निर्वाचन की अपेक्षा करने की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

10- nkok vkj vkifÙk;k d lEcU/k e C;kj&(1) नियम–8 के अधीन प्रत्येक दावा या आवेदन प्रपत्र–1 क में प्रस्तुत किया जायेगा जिसे यथास्थिति, दावेदार या आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और ऐसे एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा जिसका नाम पहले से ही वार्ड की नामावली के उस भाग में सम्मिलित हो जिसमें दावेदार अपना नाम सम्मिलित कराने का इच्छुक है और उसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या ऐसे व्यक्ति को जिसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस निमित्त पदाभिहित करें, प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) उक्त दावे में जहाँ आवश्यक हो, अर्हताओं सहित वे आधार, जिन पर नाम को सम्मिलित किये जाने की मांग की गई है, दिए जायेंगे।

(3) नियम 9 के खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक आपत्ति प्रपत्र 1–ख में की जायेगी और उसे उप–नियम (1) के अनुसार हस्ताक्षरित किया जायेगा। नियम 9 के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन प्रत्येक आपत्ति यथास्थिति आकार पत्र 1–ग या 1–घ में की जायेगी और उसे उप–नियम (1) के अनुसार हस्ताक्षरित, प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

प्रपत्र 1–ग या 1–घ में आपत्ति दो प्रतियों में की जायेगी, जिसकी एक प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जायेगी जिसके विरूद्ध आपत्ति की जाये।

(4) आपत्ति में उस व्यक्ति के जिसका नाम सम्मिलित किए जाने का उससे संबंध है या ब्यौरों को, जिसकी शुद्धि चाही गई है, नामावली में दर्ज सभी ब्यौरे और उन आधारों को, जिस पर आपत्ति की गई है, उल्लिखित किया जायेगा।

11- inkfHkfgr vf/kdkjh }kjk ifØ;k&नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन पदाभिहित प्रत्येक अधिकारी नियम 8 और 9 में निर्दिष्ट पत्रों की एक सूची रखेगा और आवेदन पत्रों को ऐसी अभ्युक्तियों के साथ, यदि कोई हो, जैसी वह उचित समझे, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अग्रसारित कर देगा।

12- dfri; nkok vkj vkifÙk;k dk fujLr fd;k tkuk& नियम 8 या 9 के अधीन कोई आवेदन पत्र जो इस नियमावली में विहित समय के भीतर या प्रारूप पर या रीति में न दिया गया हो, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

13- ukfVl vkj mldh rkeh;h&(1) उन मामलों के सिवाय जिनमें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दावे या आपत्ति की ग्राह्यता से प्रथम दृष्ट्या संतुष्ट हो, प्रत्येक व्यक्ति जिसके दावे आपत्ति प्राप्त की गयी हों, अथवा दावे या आपत्ति प्रस्तुत करने वाले उसके अभिकर्ता और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर जिनका नाम सम्मिलित किये जाने के

संबंध में आपत्ति की गयी है, आकार पत्र 1 में एक नोटिस तामील की जायेगी, जिसमें स्थान व समय विनिर्दिष्ट हो, ऐसे साक्ष्य के साथ, यदि कोई हो, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता हो, उपस्थित होने का निदेश दिया जायेगा।

(2) उस व्यक्ति को, जिसका नाम सम्मिलित करने के संबंध में आपत्ति की गयी है, नोटिस के साथ आपत्ति की एक प्रति दी जायेगी।

(3) उप नियम (1) के अधीन नोटिस, यदि संभव हो व्यक्तिगत रूप में तामील की जायेगी और व्यक्तिगत रूप से तामील न होने पर वार्ड के भीतर संबंधित व्यक्ति के निवास स्थान या अन्तिम निवास स्थान पर चस्पा करके तामील की जायेगी।

(4) व्यक्तिगत या अन्यथा तामील का प्रमाणपत्र, ऐसी तामील के तथ्य का निश्चायक प्रमाण समझा जायेगा।

14- nkok vkj vkifÙk;kdh tkp&(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रस्तुत किये गये प्रत्येक दावे या आपत्ति की; जिसके संबंध में नोटिस दिया गया हो, संक्षिप्त जाँच करेगा और उस पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा और अपने विनिश्चय के अनुसार नामावली में कोई वृद्धि, शुद्धि या लोप का आदेश देगा और ऐसी वृद्धि, शुद्धि या लोप तदनुसार की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड में, निर्वाचन के लिये नाम निर्देशन किये जाने के अंतिम दिनाँक के पश्चात् और उस निर्वाचन की समाप्ति के पूर्व किसी प्रकार की ऐसी वृद्धि, शुद्धि या लोप नहीं की जायेगी।

(2) सुनवाई में उस व्यक्ति को जिसको ऐसा नोटिस जारी किया गया हो और किसी अन्य व्यक्ति को जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की राय में उसके लिये सहायक हो सकता है, उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(3) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने विवेक में, –

(क) किसी व्यक्ति से जिसको नोटिस दिया गया हो, अपने समक्ष व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है;

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा शपथ पर साक्ष्य देने और इस प्रयोजन के लिये शपथ दिलाने की अपेक्षा कर सकता है।

fVIi.kh&जाँच के प्रयोजन के लिये नियम 7 के अधीन प्रकाशित नामावली को शुद्ध माना जायेगा।

(4) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र–2 में दावों और आपत्तियाँ की एक सूची रखी जायेगी।

15- okMZ dh ukekoyh dk vfUre izdk'ku&(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तत्पश्चात् नियम 14 के अधीन अपने विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए संशोधनों की एक सूची तैयार करेगा और नामावली को संशोधनों की सूची के साथ उसकी प्रति निरीक्षण के लिये उपलब्ध करवाकर प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसे प्रकाशन पर, संशोधनों को सूची के साथ गठित नामावली, वार्ड की निर्वाचक नामावली होगी।

16- =qfV;ksa dh 'kqf)&आयोग के किसी निदेश के अधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी भी समय नामावली में किसी लिपिकीय या मुद्रण संबंधी त्रुटि को शुद्ध करने और दोहरी प्रविष्टियों को निकालने का आदेश दे सकता है और तदनुसार ऐसी शुद्धि या निकालने की कार्यवाही की जायेगी।

17- la'kks/kuks vkfn dk fdl izdkj fd;k tk;xk&(1) अधिनियम की धारा 12–च के अधीन किसी वार्ड की नामावली में शुद्धि उस रीति से की जायेगी जिस रीति से 1950 के अधिनियम के अधीन निर्वाचक नामावलियों में की जाती है।

(2) मतदान के लिए अनर्ह व्यक्तियों के नामों का काटा जाना और अधिनियम की धारा 12–घ के अधीन ऐसी अनर्हता के हटाये जाने के पश्चात् ऐसे नामों का पुनः

स्थापन यथासंभव उस रीति से किया जायेगा जैसी 1950 के अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन नामों को काटने और पुनः स्थापन के लिये विहित की जाये।

(3) नियम 14 और नियम 16 के उप–नियम (2) के अधीन आदेशित संशोधनों को, इस निमित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के किसी सामान्य निदेश के अधीन रहते हुए, वार्ड की नामावली और संशोधनों की सूची, यदि कोई हो, जो उक्त नामावली का भाग हो, में किया जायेगा।

(4) जहाँ नियम 8 के खंड (ख) के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह उस व्यक्ति का नाम उस वार्ड की नामावली से तत्काल हटा देगा या हटवा देगा।

18- okMk d iu% ifjlheu ij ukekoyh dh r;kjh d fy; fo'k"k micU/k&(1) यदि विधि के अनुसार किसी वार्ड का नवीन परिसीमन किया जाये और यदि ऐसे वार्ड की नामावली की शीघ्र तैयारी आवश्यक हो तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी यह निदेश दे सकता है कि उसे निम्नलिखित प्रकार से तैयार किया जायेगा–

(क) ऐसे वर्तमान वार्डों या उनके भागों जैसे नये वार्ड के क्षेत्र के भीतर सम्मिलित हों, की नामावली को साथ–साथ रखकर, और

(ख) इस प्रकार पूरी की गयी नामावली की व्यवस्था क्रम संख्या और शीर्षकों में समुचित परिवर्तन करके।

(2) इस प्रकार तैयार की गयी नामावली के नियम 7 में विनिर्दिष्ट रीति से प्रकाशित किया जायेगा और नये प्रकाशन पर यह नये वार्ड की नामावली होगी।

19- okMZ dh ukekoyh dk iqujh{k.k&(1) अधिनियम की धारा 12–छ के अधीन किसी वार्ड के लिये नामावली का पुनरीक्षण या तो गहन रूप से या संक्षिप्त रूप से या अंशतः गहन रूप से और अंशतः नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के संबंध में लागू होते हैं।

(2) जहाँ किसी वर्ष में ऐसी नामावली गहन रूप से पुनरीक्षण की जानी हो, वहाँ वह नये सिरे से तैयार की जायेगी और नियम 3 से 16 लागू होंगे जैसे कि वे वार्ड की नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के संबंध में लागू होते हैं।

(3) जहाँ किसी वर्ष में, ऐसी नामावली संक्षिप्त रूप से तैयार की जानी हो वहाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी सूचना के आधार पर, जैसी सुगमता से उपलब्ध हो, नामावली के सुसंगत भाग के लिये संशोधनों की एक सूची तैयार करवायेगा और नामावली को संशोधनों की सूची के साथ प्रारूप में छपवायेगा और नियम 6 से 16 के उपबन्ध ऐसे पुनरीक्षण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी वार्ड की नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के संबंध में लागू होते हैं।

(4) जब उपनियम (2) के अधीन पुनरीक्षण नामावली के प्रारूप में या उपनियम (3) के अधीन नामावली और संशोधनों की सूची के प्रकाशन और उपर्युक्त उपनियम (2) या (3) के साथ पठित नियम 15 के अधीन उनके अन्तिम प्रकाशन के बीच किसी समय अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी वार्ड की नामावली में किन्हीं नामों को सम्मिलित किये जाने का निदेश दिया जाय, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जब तक उसकी राय में ऐसे नामों को सम्मिलित किये जाने में कोई विधिमान्य आपित्त न हो,

वार्ड की पुनरीक्षित नामावली में नामों को सम्मिलित करवायेगा।

20- vkn'kk dh fo:) vihy&(1) नियम 13, 14, या 19 के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विश्चिय के विरूद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जायेगी–

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ अपील करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति ने अपने उन मामलों पर जो अपील की विषयवस्तु है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसके अभ्यावेदन करने के अपने अधिकार का प्रयोग न किया हो वहाँ अपील नहीं की जायेगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक अपील–

(क) अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित मेमोरेण्डम के प्रारूप में होगी ;

(ख) विनिश्चय के दिनाँक के सात दिन के भीतर अपील अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी;

(ग) आदेश की प्रति जिसके विरूद्ध अपील की जाय, और पाँच रूपये शुल्क के साथ, जो–

(i) नान जुडीसियल स्टैम्प द्वारा, या

(ii) राजकीय कोषागार में जमा करके ऐसी जमा की रसीद को संलग्न करके, या

(iii) ऐसी अन्य रीति में जैसी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निदेशित किया जाये, प्रस्तुत की जायेगी।

(3) इस नियम के अधीन केवल अपील का प्रस्तुत किया जाना नियम 15(2) के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कृत्यों को रोकने या स्थगित करने का प्रभाव नहीं रहेगा।

(4) अपील अधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय अन्तिम होगा, किन्तु जहाँ तक वह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय को उलटता हो या उपान्तरित करता हो, वह अपील में विनिश्चय के दिनाँक से प्रभावी होगा।

(5) पूर्वगामी उपनियमों के अधीन रहते हुये, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली में ऐसे संशोधन करवायेगा जैसे कि इस नियम के अधीन अपील अधिकारी के विनिश्चय को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हो।

i:dh.k

21- ukekofy;k dh vof/k&नियम–6 के उपबन्धों के अधीन तैयार की गयी किसी वार्ड की नामावली नियम 7 के अधीन उसके प्रकाशित होने पर और नियम 14, 16 और 18 के अधीन उसमें किये गये संशोधनों, पुनरीक्षणों आदि के अधीन रहते हुये तुरन्त प्रवृत्त होगी और तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक वार्ड के लिये तत्पश्चात् तैयार की गयी नामावली प्रवृत्त न हो जाये।

22- ukekoyh vkfn dh vfHkj{kk vkSj ifjj{k.k&(1) नियम–8 के अधीन किये गये सभी दावे और नियम–9 के अधीन की गयी सभी आपत्तियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उन पर अभिलिखित स्थान जैसा मुख्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान, जैसा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, वार्ड के नामावली के अगले पुनरीक्षण तक या नई तैयार की गयी नामावली के प्रवृत्त होने तक, जो भी पहले हो, रखा जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड की नामावली के अतिरिक्त उसकी प्रतियाँ उतनी संख्या में जितनी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में और नगरपालिका कार्यालय में रखी जायेगी। इन प्रतियों को मूल नामावली में किये गये

संशोधनों के अनुसार समय–समय पर संशोधित किया जायेगा।

(3) उप नियम (2) में निर्दिष्ट प्रतियों को जमा करने के पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधि–प्रमाणित किया जायेगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति को उप–नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट निर्वाचन पत्रों का निरीक्षण करने और उनकी प्रमाणित प्रतियाँ, ऐसी फीस का भुगतान करने पर प्राप्त करने का अधिकार होगा जैसी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

(5) प्रत्येक वार्ड की निर्वाचक नामावली की मुद्रित प्रतियाँ वार्ड की अगली नियमावली के प्रकाशन तक जनता को विक्रय के लिये ऐसे मूल्य पर जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) किसी वार्ड की नामावली के प्रकाशन पर नयी नामावली के प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवृत्त नामावली को उतने वर्ष के लिये जैसा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, संबंधित नगरपालिका के अभिलेखों में जमा रखा जायेगा।

vkdkj i=&1
¼fu;e 13 nf[k,½
ukfV l

सेवा में,

.....

.....

.....

दावेदार/दावेदार का अभिकर्ता
आपत्तिकर्ता/आपत्तिकर्ता का अभिकर्ता
विरोधी पक्षकार

नोटिस दी जाती है कि नगरपालिका..... के वार्ड.... ..... नामावली के सम्बन्ध में, आपके द्वारा आपके नाम को सम्मिलित किये जाने के लिये प्रस्तुत दावे/ आपत्ति की सुनवाई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष दिनाँक..... को..... स्थान..... (समय) पर होगी, आपको निर्देश दिया जाता है कि आप सुनवाई के समय ऐसे साक्ष्य के साथ जिसे आप प्रस्तुत करना चाहें, उपस्थित हों,

"निर्वाचक नामावली में आपका नाम सम्मिलित किये जाने पर जो आपत्ति की गई उसकी एक प्रति साथ में भेजी जाती है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

को नोटिस मिली। जिस व्यक्ति पर नोटिस तामील की जायेगी उसके हस्ताक्षर

*आपत्ति की प्रति प्राप्त हुई।

**यदि नोटिस दावेदार या आपत्तिकर्ता या इनमें से किसी के अभिकर्ता पर तामील की जाये, तो उसे काट दिया जाये।

तामील करने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट .....

vkdkj i= 1&d

¼fu;e 8 vkj 10 nf[k,½

uke lfEefyr fd;s tkus dh fy;s nkok@vkosnu i=

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

.....वार्ड

महोदय,

मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा नाम उपर्युक्त वार्ड के भाग संख्या. .....से संबंधित निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाये।

मेरा नाम (पूरा).....

मेरे पिता/माता/पति का नाम.....

मेरे निवास स्थान का ब्यौरा निम्नलिखित.....

मकान संख्या.....

मार्ग/मुहल्ला.....

वार्ड.....

नगर.....

मैं एतद्द्वारा अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ कि .....

(एक) मैं भारत का नागरिक हूँ.....

(दो) मेरी आयु गत पहली जनवरी को..... वर्ष और..... मास थी,

(तीन) मैं ऊपर दिये गये पते पर मामूली तौर से निवासी हूँ,

(चार) मैंने किसी अन्य वार्ड की नामावली में अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिये आवेदन नहीं किया है,

(पाँच) मेरा नाम इस या किसी अन्य वार्ड की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है।

;k

मेरा नाम वार्ड की निर्वाचक नामावली में नीचे उल्लिखित पते के अधीन सम्मिलित किया गया होगा और यदि ऐसा है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसको उक्त निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाये।

स्थान..... ....

दिनाँक..... ....

दावेदार के हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान

मैं निर्वाचक नामावली के उस भाग में सम्मिलित एक निर्वाचक हूँ जिससे दावेदार ने अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिये आवेदन किया है, अर्थात् .... से संबंधित भाग संख्या .... जिसमें मेरी क्रम–संख्या ....है। मैं इस दावे का समर्थन करता हूँ और इस पर प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

निर्वाचक के हस्ताक्षर

(पूरा नाम) ....

vkdkj i= 1&[k
¼fu;e 9 vkSj 10 nsf[k,½
fdlh izfof"V esa fn;s x;s C;kSjs ij vkifÙk

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

....वार्ड

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि मुझसे संबंधित प्रविष्टि जो वार्ड संख्या .... की नामावली के भाग .... में क्रम संख्या .... पर ‘‘..’’ इस रूप में, है, शुद्ध नहीं है। इससे शुद्ध किया जाय जिससे ब्यौरे निम्न प्रकार से पढ़े जाएँ।

....

....

स्थान........................... निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

दिनाँक........................

vkdkj i= 1&x
¼fu;e 9 vkj 10 nf[k,½
uke lfEefyr fd;s tkus ij vkifÙk

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

.....वार्ड

महोदय,

वार्ड संख्या..... की नामावली के भाग..... में क्रम–संख्या..... पर..... के नाम को सम्मिलित किये जाने पर मैं निम्नलिखित कारण/कारणों से आपत्ति करता हूँ:–

''.....

.....''

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

पूरा नाम .....

पिता/पति/ माता का नाम .....

क्रम–संख्या .....

भाग संख्या .....

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

डाक का पता

दिनाँक..... **20**

.....

मैं वार्ड संख्या..... की नामावली के उसी भाग में सम्मिलित एक निर्वाचक हूँ जिसमें आपत्तिजनक नाम विद्यमान है वह नाम है अर्थात ..... से सम्बन्धित ..... भाग संख्या..... जिनमें मेरी क्रम संख्या ..... है। मैं इस आपत्ति का समर्थन करता हूँ और इस पर प्रतिहहस्ताक्षर करता हूँ।

निर्वाचक के हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

vkdkj i= 1&?k
¼fu;e 9 vkj 10 nf[k,½
uke d j[ku ij vkifUk

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
.....वार्ड

महोदय,

वार्ड संख्या.....की नामावली के .....
में क्रम संख्या.....पर .....
.....के नाम का रखने पर मैं इस आधार पर आपत्ति करता हूँ कि वह अधिनियम की धारा 12—घ के अधीन उस वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये निम्नलिखित/कारणों से अनर्ह हो गया है—

''.....
.....''

स्थान..... आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

दिनाँक..... डाक का पूरा पता.....

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास के अनुसार है, उस वार्ड के लिये नामावली में मेरा नाम निम्न प्रकार से सम्मिलित किया गया है—

पूरा नाम.....
पिता/पति/माता का नाम.....
क्रम संख्या.....
भाग संख्या.....

आपतिकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

डाक का पता .....

दिनांक .....

.....

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं वार्ड संख्या .... की नामावली के भाग संख्या .... में क्रम संख्या................................. पर मैं नामांकित किया गया एक निर्वाचक हूँ। मैं इस आपत्ति का समर्थन करता हूँ और उस पर प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान

(पूरा नाम)..

दिनाँक..

vkdkj i= &2
¼fu;e 14 ¼4½ nsf[k,½
nkok vkSj vkifÙk;ksa dh lwph ds fy;s i=

नगर पालिका.....................................

वार्ड..

nkok vkSj vkifÙk;ksa dh lwph

दावा/आपत्ति की क्रम संख्या	प्रस्तुत करने का दिनांक	दावेदार/आपत्तिकर्ता का नाम	विनिश्चय का दिनांक	परिणाम
1	2	3	4	5

uxjh; fudk;k dh fuokpd ukekofy;k d ogn iujh{k.k gr lkotfud lpuk

नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण का कार्य दिनाँक .... से प्रारम्भ हो रहा है जिसके अन्तर्गत दिनाँक .... से दिनाँक .... तक बी0एल0ओ0 द्वारा घर–घर जाकर वर्तमान निर्वाचक नामावली में परिवर्धित, संशोधित, विलोपित होने वाले नामों तथा नये मकानों/वर्तमान निर्वाचक नामावली में छूटे हुये मकानों के निर्वाचकों के नामों की जाँच और परिवर्धन का कार्य प्रारम्भ होगा।

प्रदेश के सभी अर्ह भारतीय नागरिक कृपया उक्त कार्य की अवधि में ही अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराना सुनिश्चित कर लें। ऐसे भारतीय नागरिक जो किसी नगरीय निकाय के किसी कक्ष (वार्ड) के अन्तर्गत सामान्य रुप से निवास कर रहें हैं, दिनाँक 01 जनवरी, 2016 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी कर लिए हों, अपने निवास स्थान से सम्बन्धित नगरीय निकाय के कक्ष (वार्ड) की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए अर्ह होंगे बशर्ते वह अन्यथा अनर्ह न हो। अनर्हताएं निम्नवत् हैं :–

(क) भारत का नागरिक न हो, या

(ख) विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, या

(ग) निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिए तद्‌समय अनर्ह हो।

त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली लोकतंत्र का आधार है और इसका सही बनना प्रत्येक नागरिक के सक्रिय सहयोग पर निर्भर है।

अपना और अपने परिवार के सभी अर्ह सदस्यों के नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज हैं अथवा नहीं की जाँच कर लें। यदि दर्ज नहीं है तो अवश्य दर्ज करायें और इस हेतु घर पर पहुँचने वाले

बी0एल0ओ0 को वांछित सूचना दिये बिना कदापि वापस न करें। यदि आप के अथवा आप के परिवार के किसी नाम व प्रविष्टि में कोई संशोधन होना है या किसी नाम व प्रविष्टि को विलोपित किया जाना है तो उसे घर पर पहुँचने वाले बी0एल0ओ0 को अवश्य अवगत करा दें।

यदि दिनाँक ..... तक कोई बी0एल0ओ0 आपकेकक्ष (वार्ड) में न पहुँचे या कोई शिकायत हो तो आप तत्काल जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय)/प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने क्षेत्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से टेलीफोन पर अथवा व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

lgk;d fuokpd jftLVhdj.k vf/kdkjh dk fu;qfDr vkn'k

*श्री/सुश्री .....
पदनाम..... को जनपद .....की तहसील..... के अन्तर्गत आने वाली समस्त नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली तैयार करने, उन्हें प्रकाशित करने तथा सूचियों के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों और आपत्तियों का निपटारा कर उन्हें संशोधित करते हुए अंतिम रूप देने के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

हस्ताक्षर
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

प्रतिलिपि 1. प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), ...को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्बन्धित अधिकारी को अनुपालनार्थ।

हस्ताक्षर
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

*जो लागू न हो उसे काट दें।

Ukxjh; fudk; fuokpd ukekoyh&20 ------- d ogn iujh{k.k e ch0,y0vk0@i;o{kd@lDVj vkfQlj d fu;fDr lEcU/kh jftLVhdj.k i=

सेवा में,

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

* ☐ नगर निगम ☐ नगर पालिका परिषद ☐ नगर पचांयत .... वार्ड ....

स्वयं प्रमाणित फोटो

1. *पद का नाम (जिसके लिये रजिस्ट्रीकरण होना हैं)

   ☐ बी0एल0ओ0 ☐ पर्यवेक्षक ☐ सेक्टर आफिसर

2. *पूरा नाम ....

3. *पिता/पति का नाम ....

4. *लिंग ☐ पुरूष ☐ महिला

5. *विभाग ....

6. *विभाग में विद्यमान पद ....

7. ईमेल ....

8. जन्म तिथि ....

9. *मोबाइल नं0 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

10. आधार नम्बर ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

11. आई0 डी0 कार्ड0 नम्बर/कोड ....

12. *स्थायी पता..

13. पत्रचार पता ....

14. पिन कोड ☐☐☐☐☐☐

* खाता विवरण %&

खाता संख्या	बैंक का नाम(पूरा)	आई0एफ0एस0सी0कोड

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है,

दिनांक .... बी0एल0ओ0 / पर्यवेक्षक / सेक्टर आफिसर के हस्ताक्षर

Rkg lhy dk i;kx gr

**श्री / श्रीमती / कुमारी .... को नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत .... के लिए नीचे दी गयी तालिका के विवरण के अनुसार बी0एल0ओ0 / पर्यवेक्षक / सेक्टर आफिसर नियुक्त किया जाता है।

Ø- l-	okMZ l[;k	cFk l[;k	Ø- l-	okMZ l[;k	cFk l[;k	Ø- l-	okMZ l[;k	cFk l[;k
1-			6-			11-		
2-			7-			12-		
3-			8-			13-		
4-			9-			14-		
5-			10-			15-		

दिनांक .... **fuokpd jftLVhdj.k vf/kdkjh@lgk;d fuokpd jftLVhdj.k vf/kdkjh ¼gLrk{kj½**

---

*भरना अनिवार्य है।

**जो लागू न हो उसे काट दें।

परिशिष्ट–6

ch0,y0vk0@i;lo{kd@lDVj vkfQlj dk fu;fDr vkn'k o ifjp;&i=

jftLV'ku@vkbOMh0 u0------------------------

*श्री / सुश्री .... जिसके हस्ताक्षर का नमूना एवं फोटोग्राफ एतद्द्वारा प्रमाणित है, को *नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत .... के वार्ड संख्या .... के लिए नीचे दी गयी तालिका के विवरण के अनुसार दिनाँक .... से निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण हेतु *बी0एल0ओ0 / पर्यवेक्षक / सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किया जाता है।

प्रमाणित फोटो

Ø- l-	okM l[;k	cFk l[;k
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		

Ø- l-	okM l[;k	cFk l[;k
6-		
7-		
8-		
9-		
10-		

Ø- l-	okM l[;k	cFk l[;k
11-		
12-		
13-		
14-		
15-		

*बी0एल0ओ0 / पर्यवेक्षक / सेक्टर ऑफिसार के हस्ताक्षर का नमूना

हस्ताक्षर

दिनाँक......................

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (मुहर)

*जो लागू न हो उसे काट दें।

fuokpd x.kuk dkMl ¼[k.M&d½

1. जनपद .... 2.तहसील ....

3. (न0नि0/न0पालि0 परि0/न0पंचा0) का नाम .... 4. वार्ड संख्या ....

5. मोहल्ले का नाम .... 6. भाग संख्या .... 7. मकान नम्बर ....

7. मतदान केन्द्र का क्रमांक व नाम ....

8. मतदान स्थल का क्रमांक व नाम ....

mi;qDr edku uEcj esa ifjof/kZr] la'kksf/kr rFkk foyksfir gksus okys o;Ld ukxfjdksa ds uke vkj C;kjs

Ø- l-	Ukkxfjd dk uke	firk@ekrk@ifr dk uke	*i0@e0	01-01-20_ dk vk;q	*ifj0@l0@fo0	orZeku fuok0 ukekoyh esa fuokZpd dk Øekad	eksckbYk uEcj	vk/kkj dkMZ uEcj
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

* i0@e0 : iq:"k@efgyk * ifj0@l0@fo0 : ifjo/kZu@la'kks/ku@foyksiu

- परिवर्धन/संशोधन/विलोपन में जिस तरह की प्रविष्टि की जाए उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। यदि प्रचलित सूची में कोई प्रविष्टि त्रुटि पूर्ण है उसे शुद्ध करके ही उपर्युक्त तालिका में लिखा जाए।
- वयस्क नागरिकों की कुल संख्या शब्दों में ....
- मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त दिए गए ब्यौरे मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं और उपर्युक्त नामों में से किसी का भी नाम किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक–नामावली में सम्मिलित नहीं किया गया है।
- मैंने उपर्युक्त कार्ड की एक प्रति प्राप्त कर ली है जिसमें मेरे परिवार के परिवर्धित/संशोधित/विलोपित सभी वयस्क नागरिकों के ब्यौरे सही हैं/मेरे नये मकान/वर्तमान निर्वाचक नामावली में छूटे हुए मकान के सभी वयस्क नागरिकों का नाम दर्ज किए गये हैं।
- मतदाता द्वारा मोबाइल नम्बर एवं आधार नम्बर देना स्वैच्छिक है।

बी0एल0ओ0 के हस्ताक्षर तारीख सहित घर के मुखिया/वरिष्ठ सदस्य के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान

नाम/पदनाम .... नाम (पूरा) ....

परिशिष्ट–7क

fuokpd x.kuk dkMZ ¼[k.M&[k½

1.जनपद .... 2.तहसील ....

3.(न0 नि0 / न0 पालि0 परि0 / न0 पंचा0) का नाम ....

4. वार्ड संख्या .... 5. मोहल्ले का नाम .... 6. भाग संख्या ....

7. मकान नम्बर .... 8. मतदान केन्द्र का क्रमांक व नाम ....

9. मतदान स्थल का क्रमांक व नाम ....

mi;qDr u;s edku@orZeku fuokpd ukekoyh esa NwVs gq, edku uEcj esa lkekU; :i ls fuokl djus okys o;Ld ukxfjdksa ds uke vkj C;kjs ¼ifjo/kku½

Ø-l-	Ukkxfjd dk uke	firk@ekrk@ifr dk uke	*i0@e0	01-01-20_ dk vk;q	*ifj0@l0@fo0	orZeku fuok0 ukekoyh esa fuokpd dk Øekd	ekckbYk uEcj	vk/kkj dkMZ uEcj
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

*** i0@e0 : iq:"k@efgyk * ifj0@l0@fo0 : ifjo/kku@l'kL/ku@foykiu**

- वयस्क नागरिकों की कुल संख्या शब्दों में ....
- मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त दिए गए ब्यौरे मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं और उपर्युक्त नामों में से किसी का भी नाम किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक–नामावली में सम्मिलित नहीं किया गया है।
- मैंने उपर्युक्त कार्ड की एक प्रति प्राप्त कर ली है जिसमें मेरे परिवार के सभी वयस्क नागरिकों का नाम दर्ज किए गये हैं।
- मतदाता द्वारा मोबाइल नम्बर एवं आधार नम्बर देना स्वैच्छिक है।

बी0एल0ओ0 के हस्ताक्षर तारीख सहित — घर के मुखिया / वरिष्ठ सदस्य केहस्ताक्षर / अंगूठे के निशान

नाम / पदनाम .... — नाम (पूरा) ....

fo|eku fuokZpdks d fy, ekckby u0 o vk/kkj dkM u0 dh lwpuk

1. जनपद .... 2. तहसील ....

3. (नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत) का नाम ....

4. वार्ड संख्या .... 5. मोहल्ले का नाम ....

6. भाग संख्या .... 7. मकान नम्बर ....

8. मतदान केन्द्र का क्र0 व नाम ....

9. मतदान स्थल का क्र0 व नाम ....

ogn iqujh{k.k ds nkSjku i;kZx e ykbu tk jgh fuokZpd ukekoyh e fo|eku fuokZpdks ds ekckby uEcj rFkk vk/kkj dkM uEcj dh lwpuk ¼fuokZpdks dh LoSPNk ij½

Ø- l-	Ukkxfjd dk uke	orZeku fuokZ0 ukekoyh e fuokZpd dk Øekd	ekckbYk uEcj										vk/kkj dkM uEcj											

बी0एल0ओ0 के हस्ताक्षर दिनाँक सहित
नाम / पदनाम ....

ch0,y0vk0 dk fn, tkus okys lkekU; funs'k

नगरीय निकाय के सामान्य निर्वाचन 2017 के लिए निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण हेतु नियुक्त बी0एल0ओ0 द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:–

1. बी0एल0ओ0 को आवंटित मतदान स्थल के क्षेत्र की सीमाओं के बारे में कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भलीभांति समझ लेना चाहिए तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण देते समय निर्वाचक नामावली के सम्बन्ध में सभी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिये। यदि कोई संदेह तो उसे अधिकारियों के संज्ञान में लाकर उसका निराकरण कर लेना चाहिए।
2. बी0एल0ओ0 को निर्वाचन कार्यालय अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय से निम्नलिखित सामग्री कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व प्राप्त कर लेनी चाहिए–
   - (1) निर्वाचक गणना कार्ड पुस्तिका (खण्ड–क एवं खण्ड–ख)
   - (2) निर्वाचकों के मोबाइल नं0 एवं आधार नम्बर एकत्र किए जाने हेतु पुस्तिका
   - (3) कार्बन पेपर–10 अदद
   - (4) निर्वाचक नामावली वर्ष, 2012 की प्रति
   - (5) बाल प्वाइंट पेन
   - (6) अनपढ़ मतदाताओं से अंगूठे का निशान लगवाने के लिए स्टैम्प पैड
   - (7) ब्लाक/वार्ड/मकान संख्या आदि को दर्शाते हुए मतदान केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले निकाय क्षेत्र का एक रेखाचित्र (नजरी नक्शा)
   - (8) परिचय पत्र
   - (9) क्लिप बोर्ड
   - (10) ऑलपिन का एक पत्ता

(11)पैमाना/स्केल–1 अदद

(12)फाइल कवर–1 अदद

(13)उक्त सामग्री रखने हेतु एक थैला

3. बी0एल0ओ0 आवंटित किये गये मतदान स्थल के सभी क्षेत्रें के रेखाचित्र (नजरी नक्शा) के अनुसार सर्वप्रथम भ्रमण करेंगे तथा मकानों का सत्यापन करेंगे। उपलब्ध करायी गयी निर्वाचक नामावली में दर्ज मकानों के अतिरिक्त यदि कोई छूटे हुए अथवा नये मकान हों तो उन्हें अलग से निर्धारित प्रपत्र पर दर्ज करेंगे। निर्वाचक नामावली के मतदाताओं के मोबाइल नम्बर एवं आधार नम्बर की सूचना एकत्र करने का कार्य प्रथमबार आयोग द्वारा कराया जा रहा है। जो मतदाता स्वेच्छा से अपना मोबाइल नंम्बर एवं आधार नम्बर देना चाहते हैं उनके लिए एक पुस्तिका बी0एल0ओ0 के पास रहेगी और बी0एल0ओ0 उक्त पुस्तिका में तदनुसार सूचना एकत्र करेंगे।

4. निर्वाचक नामावली वर्ष] 2012 जो बी0एल0ओ0 को उपलब्ध करायी जायगी, वे उसके अनुसार प्रत्येक मकान में रहने वाले मतदाताओं का सत्यापन करेंगे तथा उपलब्ध कराये गये रजिस्टर में निर्धारित प्रपत्र पर परिवर्द्धित, विलोपित एवं संशोधित किये जाने वाले मतदाताओं के नामों को पूर्ण विवरण के साथ दर्ज करेंगे और सम्बन्धित मतदाता अथवा परिवार के मुखिया अथवा परिवार के किसी अन्य वरिष्ठ सदस्य का रजिस्टर पर अंकित नाम के आगे हस्ताक्षर करायेंगे। निरक्षर होने की स्थिति में निशानी अंगूठा लगवायेंगे।

5. यदि बी0एल0ओ0 यह पाते हैं कि किसी मकान में ताला लगा है अथवा वह बंद पाया जाता है तो यह पता लगाने के लिए कि क्या वास्तव में उस मकान में कोई रहता है, उस मकान में यथासंभव कई बार जाना होगा। यदि कई बार जाने के बाद भी बी0एल0ओ0 उस मकान में ताला लगा हुआ पाते हैं तो एक अलग सूची में मकान के पते की टिप्पणी लिख लें तथा उसे अपने पर्यवेक्षक को सौंप दें।

6. यदि किसी घर के सभी वयस्क सदस्य अपनी आजीविका जैसे व्यवसाय, नौकरी आदि के कारण अपने निवास स्थान से सामान्यतः अनुपस्थित पाए जाएं तो आपको ऐसे घरों पर प्रातः जल्दी अथवा सायं के बाद जब सदस्यों के अपनी ड्यूटी से वापस लौट आने की संभावना हो, जाना चाहिए।
7. बी0एल0ओ0 को केवल उन पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने चाहिए जो उस परिवार के सदस्य हों अथवा सामान्यतः उस घर में निवास करते हों। किसी मेहमान अथवा आगन्तुक को उस निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से अपने घर से अनुपस्थित हो तो उसका नाम शामिल किया जाना चाहिए।
8. घर–घर सत्यापन के समय परिवार में यदि किसी व्यक्ति की उम्र 01 जनवरी, 2016 को 18 वर्ष पूर्ण हो गयी हो तथा वह निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किये जाने हेतु अर्ह हो तो उसका नाम निर्वाचक गणना कार्ड में दर्ज कर लिया जाएगा।
9. निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई व्यक्ति अनर्ह होगा यदि वह–
   (1) भारत का नागरिक न हो , या
   (2) विकृतचित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, या
   (3) निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिए तत्समय अनर्ह हो।
10. लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के किसी भी सदस्य, माननीय श्री राज्यपाल एवं योजना आयोग के सदस्यों के नामों को निर्वाचक नामावली में शामिल किया जायगा चाहे वह आपके दौरे के समय वास्तव में अपने घर में उपस्थित न हों।
11. बी0एल0ओ0 अपने क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधि, वर्तमान एवं पूर्व सदस्य/पार्षद, सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार एवं नागरिक सुरक्षा संगठन के वार्डेन की मदद घर–घर जांच के समय ले सकते हैं।

12. पुलिस कैम्पों, अस्पतालों अथवा जेलों में रहने वाले व्यक्तियों के नाम शामिल नहीं किए जाएंगे, किन्तु कुष्ठ निवारण गृह अथवा क्षयरोग अथवा इसी प्रकार के सेनेटोरियम में लंबी अवधि तक रहने वाले रोगियों के नाम शामिल किए जाएंगे।
13. हॉस्टल में रहने वाले और छुट्टियों में घर जाने वाले विद्यार्थियों को सामान्यतः हॉस्टल का निवासी नहीं माना जाएगा लेकिन हॉस्टल में न्यूनाधिक स्थायी रूप से रहने वाले वयस्क को शामिल किया जा सकता है।
14. यदि कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से अपने घर से अनुपस्थित हो तो उसका नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किया जाना चाहिए।
15. घर–घर सत्यापन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् बी0एल0ओ0 को परिवर्द्धन, विलोपन एवं संशोधन की पाण्डुलिपि की सूची तीन प्रतियों में अलग–अलग आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर तैयार की जायगी।
16. नागरिकों द्वारा ऑनलाइन पद्धति से किये गये आवेदन का एक प्रिन्ट बी0एल0ओ0 कार्य की समाप्ति के अन्तिम सप्ताह में सम्बन्धित अधिकारी से प्राप्त करेंगे। प्राप्त सभी आवेदनों का बी0एल0ओ0 घर–घर जाकर सत्यापन करेंगे एवं अपनी रिपोर्ट अन्य दस्तावेजों के साथ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौपेंगे। ऑनलाइन पद्धति से आवेदन करने की प्रक्रिया बी0एल0ओ0 के लिए घर–घर जाकर सर्वे किये जाने हेतु निर्धारित दिनांक से एक सप्ताह पूर्व बन्द कर दी जायेगी।
17. बी0एल0ओ0 द्वारा तीन प्रतियों में तैयार की गयी सूची पर पर्यवेक्षक एवं सेक्टर आफिसर के भी हस्ताक्षर कराये जायेंगे।
18. अधिसूचना में निर्धारित समय के अन्दर ही अपना कार्य पूरा कर लेंगे और जैसे ही काम पूरा हो जाता है, सभी दस्तावेज आदि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंप देंगे।
19. कारण सहित गणना के अन्तर्गत शामिल न किए गए घरों की सूची अद्यावधिक रूप से अपने पर्यवेक्षक को देंगे ताकि वह ऐसे घरों का दौरा कर सकें।

20. गणना कार्य पूरा हो जाने के बाद निर्धारित प्रपत्र में बी0एल0ओ0 द्वारा इस आशय का एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा कि गणना में सौंपा गया सम्पूर्ण क्षेत्र शामिल कर लिया गया है तथा मतदान स्थल के अन्तर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र के सभी मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल कर लिये गये हैं। विलोपन एवं संशोधन योग्य मतदाताओं को भी चिह्नित कर सूची तैयार कर ली गयी है।

fuokpdk d uke vkj mud fooj.k lEcU/kh egRoi.k funl'k

(क) निर्वाचक का पूरा नाम जिससे कि वह आमतौर पर जाना जाता है, निर्वाचक नामावली के उपयुक्त स्तम्भ में दर्ज किया जाएगा। जिन मामलों में निर्वाचक के नाम के हिस्से के रूप में जाति इस्तेमाल की जाती हो, उन मामलों को छोड़कर जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। जिन मामलों में निर्वाचक को अक्षरों से जाना जाता हो, उन मामलों में जिन नामों के लिये अक्षर प्रयुक्त किये गये हों, उन्हें पूर्ण रूप से दर्ज करना आवश्यक नहीं है।

(ख) निर्वाचक नामावली में सम्मान सूचक अभिज्ञान जैसे श्रीमती, कुमार, श्री, बेगम, पंडित आदि की प्रविष्टि नहीं दर्ज की जाएगी।

(ग) महिलाओं का पूरा निजी नाम अवश्य दर्ज किया जाएगा। महिला निर्वाचक का नाम 'अमुक' की पत्नी या 'अमुक' की पुत्री के रूप में दर्ज करना पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए निर्वाचक नामावली में 'कैलाश' की पत्नी का नाम पर्याप्त नहीं है अपितु कुसुम पत्नी कैलाश नाम दर्ज होना चाहिए।

(घ) पुरूषों और अविवाहित महिलाओं के माामले में पिता का नाम और विवाहित महिलाओं तथा विधवाओं के मामले में पति का नाम दर्ज किया जाएगा। लेकिन यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह केवल पहचान के प्रयोजन के लिये है और सभी मामलों में इस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) जिन मामलों में पिता का नाम, व्यक्ति के नाम का कोई भाग न बनता हो किन्तु पहचान के लिये अब भी उसकी जरूरत हो, उन मामलों में पिता का नाम निर्वाचक नामावली में अलग से दर्शाया

जाएगा और उसे व्यक्ति के नाम के हिस्से के रूप में नहीं दिखाया जाएगा जैसे 'दशरथ के राम' एवं 'रामू का कल्लू' आदि। दशरथ के राम में निर्वाचक का नाम राम होगा तथा पिता के नाम के स्तम्भ में दशरथ लिखा जायगा।

(च) किसी भी धार्मिक संघ से सम्बन्धित साधु, मठवासी और मठवासिनी जैसे व्यक्तियों के मामले में, जो अपने पिता या माता का नाम नहीं देना चाहते हों, गुरू, धार्मिक संस्थान का नाम ही पर्याप्त होगा। यह निश्चित रूप से अपेक्षित है कि एक ही घर में रहने वाले एक ही परिवार के सदस्यों के नाम निर्वाचक नामावली में एक ही स्थान पर लिखे जाएंगे। परिवार के मुखिया का नाम क्रमबद्ध रूप से इस प्रकार रखा जाए कि परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी परिवार के मुखिया के नाम के फौरन बाद दर्ज हो जाएं।

(छ) निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मोहल्ले का नाम जहाँ से वह मोहल्ला प्रारम्भ हो रहा हो, इंगित कर दिया जाए।

de me d 0;fDr;k d ith;u d lEcU/k e j{kkik;

चूँकि चुनावों की निष्पक्षता निर्वाचक नामावली की सत्यता एवं परिपूर्णता पर निर्भर करती है इसलिये यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि कम उम्र के व्यक्तियों के नाम इसमें शामिल न किये जाएं। निर्वाचक नामावली में अपात्र व्यक्तियों के नाम शामिल किये जाने की जिम्मेदारी सीधे बी0 एल0 ओ0, पर्यवेक्षक व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की होगी जिनके हस्ताक्षर निर्वाचक नामावली पर लिये जाते हैं। यदि निर्वाचक नामावली की जांच करने पर पर्यवेक्षकों के सामने ऐसे मामले आते हैं जिनमें किन्ही व्यक्तियों ने निर्वाचक नामावली में अपात्र व्यक्तियों का पंजीकरण कराया हो तो उपयुक्त उपबन्ध के अन्तर्गत परिवार के उन मुखियों आदि के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है, जिन्होंने लिखित गलत सूचना देकर ऐसे नाम पंजीकृत कराये हों। निर्वाचक नामावली में शामिल करने सम्बन्धी आवेदनों व आपत्तियों की जांच करने वाले बी0 एल0 ओ0 और अन्य अधिकारियों को भी इस सम्बन्ध में सावधानी बरतनी चाहिये।

vukFk 0;fDr;k dk i:th;u

यदि कोई बच्चा बचपन से ही अनाथालय में पला हो और 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर निर्वाचक के रूप में पंजीयनके लिये पात्र हो जाता हो तथा वह अपने पिता या माता का नाम देने की स्थिति में न हो तो पात्र होने पर बी0एल0ओ0 द्वारा ऐसे व्यक्तियों से निर्धारित प्ररूप पर दावे भरवा लिये जायेंगे और माता/पिता/पति के नाम के लिये बने हुये कालम में उस अनाथालय का नाम दर्ज किया जाएगा। यदि अनाथ व्यक्ति किसी अनाथालय में न पला हो बल्कि किसी परिवार में पला हो तो बी0एल0ओ0 उपयुक्त स्तम्भ में उस परिवार का नाम निम्नलिखित रूप में लिखेगाः–

द्वारा श्री .....

यदि परिवार में कानूनी तौर से अनाथ बच्चे को गोद लिया गया हो तो इस मामले में अनाथ बच्चे को गोद लेने वाले पिता/माता के नाम का उल्लेख किया जाए। जो मामले उपर्युक्त श्रेणी में न आते हों उनमें बी0एल0ओ0 द्वारा 'ज्ञात नहीं' की प्रविष्टि की जाएगी।

/;ku e: j[kh tku okyh egRoi.k ckr:

बी0एल0ओ0 के रूप में आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि निर्वाचक नामावली की यथार्थता आपके द्वारा किए गये कार्य पर निर्भर करती है। ध्यान रखने वाली प्रथम और मुख्य बात यह है कि निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए अर्हता के दिनाँक के अनुसार मतदाता की आयु की प्रविष्टि करें। अर्थात् 1 जनवरी, 2016 को जिन व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष हो तथा अन्यथा अनर्ह न हों, उनके नाम इस पुनरीक्षण में सम्मिलित किये जाएंगे। दूसरी बात यह है कि मतदाताओं के नाम स्पष्ट रूप से साफ अक्षरों में लिखे जाएं।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा वास्तव में नियुक्त किए गए बी0एल0ओ0 की प्रामाणिकता के लिए उनके नाम, आयु और नमूना हस्ताक्षर सहित पहचानपत्र प्रदान किया जाएगा। नियुक्ति/पहचानपत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपनी सरकारी मुहर सहित हस्ताक्षर किए जाएंगे। जब

भी बी0 एल0 ओ0 ड्यूटी पर जाएं, इस नियुक्ति/पहचानपत्र को अपने साथ ले जाएं ताकि मांगे जाने पर अपनी पहचान की प्रामाणिकता के लिए इसे दिखा सकें।

निर्वाचक नामावली की पाण्डुलिपि तैयार करते समय दिए गए रेखाचित्र (नजरी नक्शे) के साथ यह जांच कर ली जाए कि आवंटित निकाय क्षेत्र/मतदान स्थल के अन्तर्गत आने वाला कोई क्षेत्र अथवा घर छूटा न हो और न ही कोई अन्य क्षेत्र सूची में गलती से शामिल हो गया हो।

ifjf'k"V&9

iqujh{k.k dk;Z iw.kZ gksus ij ch0 ,y0 vk0 }kjk fn;k tkus okyk izek.ki=

1. बी0एल0ओ0का नामः ....

2. पूरा सरकारी पदनाम
   कार्यालय का पताः ....

3. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नामः ....

4. आवंटित निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नामः ....
   (भाग संख्या ब्यौरों सहित दर्शायी जाय)

5. आवंटित किए गये क्षेत्र का विवरणः

   (क) *नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत का नाम
   ....

   (ख) वार्ड संख्या व नामः ....
   बूथ संख्याः ....

   (ग) गली (यों) की संख्या व नामः ....

   (घ) आवंटित किये गये मकानों की क्रम संख्या .... से ...... तक

   (ङ) मोहल्लों की संख्या व नामः ....

6. किए गये कार्य का ब्यौराः–

   (क) आवंटित किए गये मकानों की कुल संख्याः ....

   (ख) उनमें आवासीय मकानों की कुल संख्याः ....

   (ग) उनमें गैर आवासीय मकानों की कुल संख्याः

   (घ) दौरा किए गये आवासीय मकानों की कुल संख्याः ....

   (ड.) कारण सहित दौरा न किए गये मकानों की संख्याः

   (च) गणना किए गये परिवारों की संख्या (ब्यौरे परिशिष्ट में दिये गये) फार्म में दिये जाने चाहिए।

7. कार्य शुरू करने का दिनाँकः .....

8. कार्य पूरा करने का दिनाँकः .....

प्रमाणित किया जाता है कि–

(1) मुझे संख्या–5 में उल्लिखित क्षेत्र की घर–घर जाकर गणना करने के लिये बी0एल0ओ0 नियुक्त किया गया है।

(2) परिवारों की प्रस्तुत की गई संख्या सही है।

(3) मुझे आवंटित किए गए मकानों के सभी परिवार गणना में शामिल कर लिये गये हैं।

(4) ..... मकानों में ताला बन्द पाया गया और मैंने उन ताला लगे मकानों का फिर से दौरा किया तथा मैने उन मकानों के अन्दर अनुरोध पत्र भी डाल दिया है। मैंने सत्यापन के लिये अपने पर्यवेक्षक को उन ताला लगे मकानों के विवरण सहित एक सूची भी दे दी है।

(5) मैंने घर–घर जाकर गणना के लिये सौंपे गये सम्पूर्ण क्षेत्र की गणना कर ली है और किसी भूल चूक के लिये मैं जिम्मेदार हूँ।

स्थान :
दिनाँकः

बी0एल0ओ0के हस्ताक्षर
नाम/पदनाम

विशेष ध्यान दें–गणना कार्य पूरा हो जाने के बाद उपर्युक्त प्रमाण–पत्र निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंप दें।

*जो लागू न हो उसे काट दें।

ifjf'k"V&10

i;Zos{kd }kjk fn;k tkus okyk izek.k&i=

मैं प्रमाणित करता हूँ कि घर–घर जाँच के दौरान *नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत .... के वार्ड संख्या .... के लिए निर्धारित मतदान स्थलों की मेरे द्वारा गणना कार्य की 10 प्रतिशत जाँच कर ली गयी है। उक्त निर्वाचन क्षेत्र में गणना कार्य सही रूप से किया गया है और कोई भाग छूटा नहीं है।

जाँच का विवरण

पर्यवेक्षक का नाम व पदनाम	नगरीय निकाय का नाम/वार्ड संख्या	मतदान स्थल संख्या व नाम	कुल नामों की संख्या जिनकी जांच की गई

दिनाँक ....

हस्ताक्षर
नाम तथा पदनाम

*जो लागू न हो उसे काट दें।

परिशिष्ट–11

lsDVj vkfQlj }kjk fn;k tkus okyk izek.ki=

मैं प्रमाणित करता हूँ कि घर–घर जाँच के दौरान *नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत .... के वार्ड संख्या .... के लिए निर्धारित मतदान स्थलों की मेरे द्वारा गणना कार्य की 05 प्रतिशत जाँच कर ली गयी है।उक्त निर्वाचन क्षेत्र में गणना कार्य सही रूप से किया गया है और कोई भाग छूटा नहीं है।

जाँच का विवरण

सेक्टर ऑफिसर का नाम व पदनाम	नगरीय निकाय का नाम/वार्ड संख्या	मतदान स्थल संख्या व नाम	कुल नामों की संख्या जिनकी जाँच की गई

दिनाँक..................................

*जो लागू न हो उसे काट दें।

lgk;d fuokpd jftLVhdj.k vf/kdkjh }kjk fn;k tkus okyk izek.k&i=

मैं प्रमाणित करता हूँ कि घर–घर जाँच के दौरान *नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत ..... के वार्ड संख्या ..... के लिए निर्धारित मतदान स्थलों की मेरे द्वारा गणना कार्य की 03 प्रतिशत जाँच कर ली गयी है।उक्त निर्वाचन क्षेत्र में गणना कार्य सही रूप से किया गया है और कोई भाग छूटा नहीं है।

जाँच का विवरण

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का नाम व पदनाम	नगरीय निकाय का नाम/वार्ड संख्या	मतदान स्थल संख्या व नाम	कुल नामों की संख्या जिनकी जाँच की गई

दिनाँक.....

हस्ताक्षर
नाम तथा पदनाम

*जो लागू न हो उसे काट दें।

fuokpd jftLVhdj.k vf/kdkjh }kjk fn;k tkus okyk izek.k&i=

मैं प्रमाणित करता हूँ कि घर–घर जाँच के दौरान *नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत ..... के वार्ड संख्या ..... के लिए निर्धारित मतदान स्थलों की सेक्टर आफिसर द्वारा गणना कार्य की 05 प्रतिशत जाँच कर ली गयी है एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा न्यूनतम तीन प्रतिशत जाँच कर ली गई है तथा मैंने भी स्वयं उक्त निर्वाचन क्षेत्र में ..... घरों की गणना कार्य की जाँच कर ली है।उक्त निर्वाचन क्षेत्र में गणना कार्य सही रूप से किया गया है और कोई भाग छूटा नहीं है।

जाँच का विवरण

जाँच अधिकारी का नाम व पदनाम	नगरीय निकाय का नाम/वार्ड संख्या	कुल नामों की संख्या जिनकी जाँच की गई

दिनाँक .....

हस्ताक्षर
नाम तथा पदनाम

*जो लागू न हो उसे काट दें।

परिशिष्ट–14

fuokpd ukekoyh l fdlh 0;fä dk uke fudkyu lEcU/kh vkifÙk dh luokbl gr ukfVl

सेवा में .... दावेदार/दावेदार का अभिकर्ता/
.... आपत्तिकर्ता/आपत्तिकर्ता का
.... अभिकर्ता/विरोधी पक्षकार

नोटिस दी जाती है कि *नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत .... के वार्ड .... निर्वाचक नामावली की भाग संख्या .... में आपका नाम सम्मिलित होने पर की गयी आपत्ति की सुनवाई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष दिनाँक .... को .... स्थान .... (समय) पर होगी। आपको निर्देश दिया जाता है कि आप सुनवाई के समय अपना नाम सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी साक्ष्य यदि प्रस्तुत करना चाहें तो उपस्थित हों।

- निर्वाचक नामावली में आपका नाम सम्मिलित किये जाने पर जो आपत्ति की गई है उसकी एक प्रति साथ में भेजी जा रही है।

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

को नोटिस प्राप्त हुई (दिनाँक) ....

- आपत्ति की प्रति प्राप्त हुई। जिस व्यक्ति पर नोटिस तामील की जायगी उसके हस्ताक्षर
- यदि नोटिस दावेदार या आपत्तिकर्ता या इनमें से किसी के अभिकर्ता पर तामील की जाय तो इसे काट दिया जाय।
  तामील करने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट ....

***tk ykx u gk ml dkV nA**

¼ifjo/kku½

uke lfEefyr fd; tku d fy; nkok@vkonu i=

सेवा में,
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

* ☐ नगर निगम ☐ नगर पालिका परिषद ☐ नगर पचांयत ....

महोदय,

मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा नाम उपर्युक्त नगर निकाय के वार्ड के निर्वाचक नामावली के भाग सख्या .... में सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाय।

मेरा नाम (पूरा) .... पुरूष/स्त्री ....

*मेरे पिता/माता/पति का नाम ....

मेरे निवास स्थान का ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

मकान संख्या .... मार्ग/मोहल्ला ....

वार्ड .... नगर ....

मैं एतद्द्वारा अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ घोषणा करता/करती हूँ किः–

1. मैं भारत का नागरिक हूँ।
2. मेरी आयु पहली जनवरी 20 .... को .... वर्ष और .... माह थी।
3. मैं ऊपर दिये गये पते पर सामान्यतः निवासी हूँ।
4. मैनेंकिसी अन्य वार्ड की नामावली में अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिये आवदेन नहीं किया है।
5. मेरा नाम इस या किसी अन्य नगर स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत के वार्ड की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है।

;k

मेरा नाम *नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत या ग्राम पंचायत .... के वार्ड .... की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या .... में नीचे उल्लिखित पते के अधीन सम्मिलित किया गया

होगा और यदि ऐसा है तो मैं प्रार्थना करता हूँकि उसको उक्त निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाये :–

....

....

स्थान .... दिनाँक ....

मोबाइल नं० | | | | | | | | | | |

आधार नं० | | | | | | | | | | | | |

nkonkj d gLrk{kj ;k vxBk fu'kku

मैं निर्वाचक नामावली के उस भाग में सम्मिलित एक निर्वाचक हूँ जिसमें दावेदार ने अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिये आवेदन किया है और मेरा नाम वार्ड क्रमाकं सेसम्बन्धित भाग संख्या की निर्वाचक नामावली में दर्ज है और क्रम संख्या.................................है।

मै ंइस दावे का समर्थन करता हूँ और इस पर प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

समर्थक निर्वाचक के हस्ताक्षर .... पूरा नाम ....

fVIi.kh& *जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता हैं जो कि मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध है।*

✂...✂...

fuokpd ukekoyh d lEcU/k e nkok dh jlhn

श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत .... के वार्ड क्रमांक .... के/की निवासी है, से उक्त नगर निकाय के वार्ड क्रमांक .... में नाम सम्मिलित किये जाने के विषय में आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

स्थान .... दिनांक ....

fuokpd jftLVhdj.k vf/kdkjh@
lgk;d fuokpd jftLVhdj.k vf/kdkjh d vkn'kkuqlkj¼gLrk{kj½
पदनाम ....

---

*जो लागू न हो उसे काट (×) दें।

ifjf'k"V&16

¼l 'kks/ku½

fdlh ifof’V es fn;s x;s C;kjs ij vkifRr

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

* ☐ नगर निगम ☐ नगर पालिका परिषद ☐ नगर पचांयत ....

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि मुझसे सम्बन्धित प्रविष्टि जो वार्ड संख्या .... की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या .... में क्रम संख्या .... पर .... इस रूप में है, जो कि शुद्ध नहीं है। इसे शुद्ध किया जाय जिसके ब्यौरे निम्न प्रकार से पढ़े जाये %&

....

....

मोबाइल नं० ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

आधार नं० ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

दिनांक ....

स्थान ....

fuokZpd ds gLrk{kj ;k vaxwBk fu'kku

✂ .... ✂ ....

<u>fuokZpd ukekoyh ds lEcU/k esa la'kks/ku dh jlhn</u>

श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत .... के वार्ड क्रमांक .... के/की निवासी है, से उक्त नगर निकाय के वार्ड क्रमांक .... के प्रविष्टि में सुधार करने के विषय मेंआवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

स्थान ....   दिनांक ....

fuokZpd jftLVªhdj.k vf/kdkjh@

lgk;d fuokZpd jftLVªhdj.k vf/kdkjh ds vkns'kkuqlkj ¼gLrk{kj½

पदनाम ....

*जो लागू न हो उसे काट(×) दें।

¼foykiu½
uke j[kus ij vkifRr

सेवा में,
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

* ☐ नगर निगम ☐ नगर पालिका परिषद ☐ नगर पचांयत .....

महोदय,

उपर्युक्त नगर निकाय के वार्ड संख्या ..... की निर्वाचक नामावली के भाग ..... में क्रम संख्या ..... पर ..... के नाम को रखने पर मैं इस आधार पर आपत्ति करता हूँ कि वह उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–12घ तथा उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–37 के अधीन उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निम्नलिखित कारण/कारणों से अनर्ह हो गया है।

.....

स्थान ..... आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान
दिनांक ..... डाक का पता .....

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है, उस वार्ड के लिये निर्वाचक नामावली में मेरा नाम निम्न प्रकार से सम्मिलित किया गया है:–

पूरा नाम .....
पिता/पति/माता का नाम .....
क्रम संख्या .....
भाग संख्या .....

दिनांक ..... आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
डाक का पता .....

मैं घोषणा करता हूॅ कि वार्ड संख्या ....
की नामावली के भाग संख्या .... में क्रम संख्या .... पर मैं नामांकित किया गया एक निर्वाचक हूँ। मैं इस आपत्ति का समर्थन करता हूॅ और उस पर प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

स्थान......................................
दिनांक...................................   निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

✂...✂...

fuokZpd ukekoyh ds lEcU/k esa foyksiu dh jlhn

श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत .... के वार्ड क्रमांक .... के/की निवासी है, से उक्त नगर निकाय के वार्ड क्रमांक .... में विलोपित किये जाने के विषय में आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

दिनांक ....   स्थान...

fuokZpd jftLVªhdj.k vf/kdkjh@
lgk;d fuokZpd jftLVªhdj.k vf/kdkjh ds vkns'kkuqlkj¼gLrk{kj½
पदनाम ....

---

*जो लागू न हो उसे काट(×) दें।

ifjf'k"V&18

uxjh; fudk; fuokpd ukekoyh o"k] 20_ _
ifjo/ku lph ¼[k.M&d½

1. जिला .... 2. तहसील ....

3. (नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत) का नाम ....

4. वार्ड संख्या.............................. 5. मोहल्ले का नाम ....

6. भाग संख्या .... 7. मतदान केन्द्र का क्र0 व नाम ....

8.मतदान स्थल का क्र0 व नाम ....

....

Ø- l-	edku u0	ernkrk dk uke	firk@ekrk@ ifr dk uke	i0@e0	vk;q	ekckbYk uEcj ¼doy 10 vd½	vk/kkj dkM uEcj
1	2	3	4	5	6	7	8

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी /
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

ifjf'k"V&19

uxjh; fudk; fuokpd ukekoyh o"k] 20_ _
l'kk/ku lph ¼[k.M&d½

1. जिला .... 2. तहसील ....

3. (नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत) का नाम ....

4. वार्ड संख्या.............................. 5. मोहल्ले का नाम ....

6. भाग संख्या .... 7. मतदान केन्द्र का क्र0 व नाम ....

8.मतदान स्थल का क्र0 व नाम ....

....

Ø- l-	ernkrk lph e fuokpd dk Øekd	edku uEcj	ernkrk dk uke	firk@ ekrk@ ifr dk uke	i0@ e0	vk;	ekckbYk uEcj ¼doy 10 vd½	vk/kkj dkM uEcj
1	2	3	4	5	6	7	8	9

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी /
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

ifjf'k"V&20

uxjh; fudk; fuokpd ukekoyh o"k] 20_ _
foykiu lwph ¼[k.M&d½

1. जिला .... 2. तहसील ....

3. (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) का नाम ....

4. वार्ड संख्या.............................. 5. मोहल्ले का नाम ....

6. भाग संख्या .... 7. मतदान केन्द्र का क्र0 व नाम ....

8.मतदान स्थल का क्र0 व नाम ....

Ø- l-	ernkrk lwph esa fuokpd dk Øekad	edku uEcj	ernkrk dk uke	firk@ekrk@ifr dk uke	iq0@ e0	vk;q
1	2	3	4	5	6	7

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

ifjf'k"V&21

uxjh; fudk; fuokpd ukekoyh o"k] 20_ _
u;s edkuks@NVs g;s edkuks e lk/kkj.k :i ls fuokl dj jgs vgZ
fuokpdks dh ifjo/ku lwph ¼[k.M&[k½

1. जिला .... 2. तहसील ....

3. (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) का नाम ....

4. वार्ड संख्या............................ 5. मोहल्ले का नाम ....

6. भाग संख्या .... 7. मतदान केन्द्र का क्र0 व नाम ....

8.मतदान स्थल का क्र0 व नाम ....

....

Ø- l-	edku u0	ernkrk dk uke	firk@ekrk@ ifr dk uke	i0@e0	vk;q	ekckbYk uEcj ¼doy 10 vd½	vk/kkj dkM uEcj
1	2	3	4	5	6	7	8

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

ifjf'k"V&22

vafUre uxjh; fudk; fuokpd ukekoyh o"k] 20__

1. जिला ..... 2. तहसील .....

.

3. (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) का नाम .....

4. वार्ड संख्या..... 5. मोहल्ले का नाम .....

6. भाग संख्या ..... 7. मतदान केन्द्र का क्र0 व नाम .....

8.मतदान स्थल का क्र0 व नाम .....

Ø- l-	edku uEcj	ernkrk dk uke	firk@ekrk@ifr dk uke	i#"k@ efgyk	vk;q
1	2	3	4	5	6

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

ifjf'k"V&23

dk;kZy;] fuokpd jftLVhdj.k vf/kdkjh

स्थान ..... दिनांक .....

fo"k;%&निर्वाचकों के लिये निर्वाचक नामावली का प्रकाशन।

*नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत .... के निवासियों को एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त नगर की वार्डवार निर्वाचक नामावली आज प्रकाशित कर दी गई है। निर्वाचक नामावली मेरे कार्यालय के अतिरिक्त नीचे वर्णित कार्यालयों/स्थानों में आम लोगों के निःशुल्क निरीक्षण के लिये उपलब्ध है।

2–कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली में अपना नाम जुड़वाना चाहे या किसी प्रविष्टि को संशोधित कराना चाहे या किसी व्यक्ति के नाम के सम्बन्ध में आपत्ति करना चाहें, वह इस सम्बन्ध में अपना दावा या आपत्ति निर्धारित प्रपत्र–3क, 3ख, 3ग एवं 3घ में आज दिनाँक ..... से कार्यालय समय के दौरान दिनाँक ..... तक अपरान्त 3.00 बजे के पहले नीचे वर्णित स्थानों पर तैनात कर्मचारी को, या सीधे मुझे प्रस्तुत कर सकता है। विहित समय के पश्चात् प्रस्तुत की गई आपत्ति या दावे पर विचार नहीं किया जायगा।

हस्ताक्षर
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
मुहर

1. कार्यालय जहाँ नगर की निर्वाचक नामावली निरीक्षण के लिये उपलब्ध है :–
   (1) कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
   (2) कार्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
   (3) कार्यालय नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत।
   (4) जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय)
   (5) सम्बन्धित मतदान केन्द्र।

*जो लागू न हो उसे काट दें।

ifjf'k"V&24

ernkrkvk] nko@vkifRr;k lEcU/kh lpuk

नगरीय निकाय का नाम ....

नगरीय निकाय का नाम	वार्ड	प्ररूप प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या			दावे/आपत्ति का विवरण									अन्तिम प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या		
		कुल	पु0	स्त्री	प्राप्त			निस्तारण						कुल	पु0	स्त्री
					दावे	नाम हटाने हेतु प्रस्तुत आपत्तियॉ	प्रविष्टि में शुद्धि हेतु प्रस्तुत आपत्तियॉ	दावे		नाम हटाने सम्बन्धी आपत्ति		शुद्धि सम्बन्धी आपत्ति				
								स्वीकार	अस्वीकार	स्वीकार	अस्वीकार	स्वीकार	अस्वीकार			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

fVIi.kh %& 1. मतदाता सूची के प्ररूप प्रकाशन के पश्चात् वार्डवार मतदाताओं के आकंडे (स्तम्भ 2,3,4 व 5 की सूचना) जिला निर्वाचन अधिकारी तथा राज्य निर्वाचन आयोग को तुरन्त भिजवायी जायेगी।

2. नगर निकाय के मतदाताओं की पूर्ण सूचना उपर्युक्त प्रपत्र (स्तम्भ–1 लगायत–17) में संकलित की जाय, व अन्तिम प्रकाशन के तुरन्त बाद राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जायेगी।

ifjf'k"V&25

fuokpd jftLVhdj.k vf/kdkjh d vkn'k d fo:) vihy

स्थान .....
दिनांक .....

अपील प्राधिकारी

.....

जनपद .....

fo"k;%& *निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, *नगर निगम/ नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत .... के आदेश क्रमांक ..... दिनांक ..... . के विरूद्ध अपील।

महोदय,

विषयान्तर्गत नगर की मतदाता सूची तैयार करने के लिये नियुक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, श्री ..... . के सन्दर्भित आदेश से क्षुब्ध होकर मैं, उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत *करता/करती हूँ । विवादित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष मैंने निम्नांकित आपत्ति/दावा किया थाः–
3. मेरी अपील के आधार निम्नांकित हैंः–
   (1) .....
   (2) .....
4. निवेदन है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों पर पुनः विचार करते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का विवादित आदेश निरस्त किया जाय तथा मेरा दावा/मेरी आपत्ति स्वीकार की जाए।

यदि अपीलार्थी का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो तो उसका विवरण

हस्ताक्षर (अपीलार्थी)
नाम .....

पिता/पति का नाम .....
.....
पता .....
.....

वार्ड क्रमांक .....
भाग संख्या .....
मतदाता क्रमांक .....

&% ?kk"k.kk %&

मैं ऊपर वर्णित अपीलार्थी यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार इस अपील की उपर्युक्त प्रस्तरों में उल्लिखित कथन सत्य है।

lyXu% निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश दिनांक ..... की प्रतिलिपि

हस्ताक्षर (अपीलकर्ता)
नाम .....

vihy dh jlhn

*श्री/श्रीमती/कुमारी .....
जो नगर ..... के वार्ड क्रमांक .....
*का/की निवासी है, से अपील प्राप्त हुई।

इसमें सुनवाई दिनांक ..... को प्रातः 10 बजे की जाएगी। प्रार्थी आवश्यक साक्ष्य के साथ मेरे कार्यालय में उपस्थित हों

हस्ताक्षर
अपील प्राधिकारी
मुहर
दिनांक.....

*जो लागू न हो उसे काट दें।

ifjf'k"V&26

uke gVk; tku d fofu'p; dh lpuk

क्रमांक :–
स्थान :–
दिनांक :–

*श्री / श्रीमती / कुमारी ....
*पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ....
निवासी ....

विषयः– *श्री / श्रीमती / कुमारी ....
*पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ....
का *नाम नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत ....
के वार्ड संख्या .... से हटाये जाने के सम्बन्ध में।

मेरे समक्ष *श्री / कुमारी / श्रीमती ....
*पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ....
निवासी मकान नं0 .... मोहल्ला ....
वार्ड का नाम .... *नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत ....
द्वारा .... के वार्ड सं. / नाम ....
से उपरोक्त *श्री / श्रीमती / कु0 ....
*पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ....
का नाम हटाये जाने सम्बन्धी आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी जिसमें उपर्युक्त *श्री / श्रीमती / कु0 .... को भी सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए मामले कर सम्यक जांचोपरान्त मैंने अपने आदेश दिनांक .... द्वारा उक्त का नाम *नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत के वार्ड संख्या / नाम .. .. से निर्वाचक के रूप में से हटाये जाने का विनिश्चय किया है।

अतः एतद्द्वारा इस आशय की सूचना *श्री / श्रीमती / कु0 .... को मेरे आदेश दिनांक .... की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

हस्ताक्षर.................................
नाम ....
सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
नगर निकाय का नाम ....
जनपद ....

***tk ykx u gk mI dkV nA**

mRrj izn'k uxj fuxe vf/kfu;e] 1959 d lgr izko/kkuk dk m)j.k

/kkjk&35 izR;sd d{k d fy; fuokpd ukekoyh& प्रत्येक कक्ष के लिये एक निर्वाचक नामावली होगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन तैयार की जायेगी।

/kkjk&36 fuokpdk dh vgrk,& धारा 37 और 38 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाये, पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और जो कक्ष के क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी हो, कक्ष की निर्वाचक नामावली में पंजीयन का पात्र होगा।

स्पष्टीकरण– (एक) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण कि कक्ष के क्षेत्र में उसका किसी निवास–गृह पर स्वामित्व या कब्जा है, यह न समझ लिया जायेगा कि वह उस कक्ष के क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(दो) अपने मामूली निवास–स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण यह न समझा जायेगा कि वह वहाँमामूली तौर से निवासी नहीं रहा।

(तीन) संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में कक्ष के क्षेत्र से अनुपस्थित रहने मात्र के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी होने से परिविरत नहीं समझा जायेगा।

(चार) यह विनिश्चय करने के लिये कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी समझा जाये या न समझा जाये, किन्हीं अन्य तथ्यों पर, जिन्हें विहित किया जाये, विचार किया जायेगा।

(पाँच) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति मामूली तौर से कहाँ का निवासी है तो उस प्रश्न का अवधारण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश में किया जायेगा।

/kkjk&37 fuokpdk dh vugrk,&[(1) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली में पंजीयन के लिये अनर्ह होगा, यदि वह –

(1) भारत का नागरिक न हो; या

(2) विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणाविद्यमान है; या

(3) निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिये तत्समय अनर्ह हो।]

(2) किसी व्यक्ति, जो पंजीयन के पश्चात् उपर्युक्त रूप से अनर्ह हो जाता है, का नाम उस कक्ष की उस निर्वाचक नामावली से जिसमें उसका नाम लिखा है, तुरन्त ही काट दिया जायेगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपधारा (1) के अधीन किसी अनर्हता के कारण किसी व्यक्ति का नाम किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली से काट दिया जाता है तो उक्त नामावली के प्रचलित रहने(in force) की अवधि में, इस अधिनियम के उपबन्धों, अथवा उक्त निवारण को प्राधिकृत करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन उपर्युक्त अनर्हता समाप्त कर दिये जाने पर उसे तुरन्त पुनः दर्ज कर लिया जायेगा।

/kkjk&38 ith;u ,d d{k rFkk ,d LFkku e gkxk&(1) कोई भी व्यक्ति एक ही नगर में एक से अधिक कक्षों के लिये निर्वाचक नामावली में पंजीयन का पात्र न होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार पंजीकृत होने का पात्र न होगा।

(3) कोई व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में पंजीयन का पात्र न होगा, यदि उसका नाम किसी अन्य नगर या किसी [लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, संक्रमणशील क्षेत्र, छावनी या ग्राम पंचायत से

संबंधित किसी निर्वाचक नामावली में दर्ज हो जब तक कि वह यह दर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से काट दिया गया हो।]

/kkjk&39 fuokpd ukekoyh dh r;kjh vkj izdk'ku&(1) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुये, प्रत्येक कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) के पर्यवेक्षण के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियमों द्वारा विहित रीति से तैयार और प्रकाशित की जायेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी होंगे जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे।

(3) निर्वाचक नामावली के प्रकाशन पर, इस अधिनियम के, या उसके अधीन बनाये गये नियमों के, अनुसार किये गये किसी परिवर्तन, परिवर्धन या सुधार के अधीन रहते हुये, वह इस अधिनियम के अनुसार तैयार की गयी कक्ष की निर्वाचक नामावली होगी।

(4) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली तैयार करने के प्रयोजन के लिये तत्समय प्रवृत्त विधान सभा की सूची को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के अनुसार अपना सकता है जहाँ तक उसक सम्बन्ध उस कक्ष के क्षेत्र से हो:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली में, ऐसे कक्ष के लिये नाम निर्देशन के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व किसी संशोधन, परिवर्तन या सुधार को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(5) जहाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का, चाहे उसके दिये गये किसी आवेदन–पत्र पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, यह समाधान हो जाये कि निर्वाचक नामावली में कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिये या रजिस्ट्रीकरण के लिये हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक

नामावली में परिवर्धित किया जाना चहिए, वहाँ वह इस अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और आदेशों के अधीन रहते हुये किसी प्रविष्टि का, यथास्थिति सुधार व निष्कासन या परिवर्धन करेगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्धन कक्ष के किसी निर्वाचन के लिये नाम–निर्देशन होने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व, नहीं किया जायेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी व्यक्ति से सम्बन्धित प्रविष्टि का ऐसा कोई सुधार या निष्कासन जो उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसे उसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना, नहीं किया जायेगा।

/kkjk&40 fuokpd ukekoyh dk iqujh{k.k&राज्य निर्वाचन आयोग, यदि वह सामान्य या उप निर्वाचन के प्रयोजन के लिये ऐसा करना आवश्यक समझे, सभी कक्षों की या किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली का ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, पुनरीक्षण करने का निदेश दे सकता हैः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये, कक्ष की निर्वाचक नामावली, जैसा कि वह कोई ऐसा निर्देश दिये जाने के समय प्रवृत्त हो, प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि इस प्रकार निदेशित पुनरीक्षण पूरा न हो जाये।

/kkjk&41 fuokpd rFkk fuokpd ukekofy;ksa ls lEc) vU; fo"k;&जहाँ कि निम्नलिखित विषयों में से किसी के सम्बन्ध में इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा उपबन्ध न किया जाये, राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचक नामावली से सम्बद्ध निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में आज्ञा द्वारा उपबन्ध बना सकती है, अर्थात्–

(क) दिनांक, जब इस अधिनियम के अधीन प्रथम बार तैयार की गई निर्वाचक नामावलियाँ और बाद में तैयार की गई निर्वाचक नामावलियाँ प्रवृत्त होंगी तथा उनके प्रवर्तन की अवधि;

(ख) सम्बन्धित निर्वाचक (elector) के प्रार्थना पत्र पर निर्वाचक नामावली की किसी वर्तमान प्रविष्टि को ठीक करना;

(ग) निर्वाचक नामावलियों में लिपिकीय अथवा मुद्रण सम्बन्धी गलतियों का ठीक करना;

(घ) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्वाचक नामावलियों में बहुत से नाम छूट जाने की दशा में उनमें सुधार करना;

(ङ) निर्वाचक नामावलियों में किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज करना–

(1) जिसका नाम कक्ष से सम्बद्ध क्षेत्र की विधान सभा की सूचियों में है, परन्तु कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, अथवा जिसका नाम गलती से किसी अन्य कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज कर लिया गया है, अथवा

(2) जिसका नाम विधान सभा की सूचियों में दर्ज नहीं है, परन्तु जो अन्यथा कक्ष की निर्वाचक नामावली में पंजीयन के लिये अर्ह है;

(च) ऐसे व्यक्तियों के नामों का अपवर्जन जो पंजीयन के लिये अनर्ह है;

(छ) ऐसे व्यक्तियों का अभिलेख रखना जो मत देने के लिये अनर्ह है;

(ज) नामों के समावेश तथा अपवर्जन के निमित्त प्रार्थना पत्र पर देय शुल्क;

(झ) [* * *]निरसित

(ञ) निर्वाचक नामावलियों की अभिरक्षा तथा परिरक्षण (custody and preservation); तथा

(ट) सामान्यतः निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने तथा उसे प्रकाशित करने से सम्बद्ध सभी विषय।

mRrj izn'k uxj ikfydk vf/kfu;e] 1916 d lgr iko/kkuk dk m)j.k

/kkjk&12[k iR;d d{k d fy; fuokpd ukekoyh & (1) प्रत्येक कक्ष के लिये एक निर्वाचक नामावली होगी जो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तैयार की जायेगी।

[(2) उपधारा (1) के अधीन रहते हुये प्रत्येक कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानीय निकाय) के पर्यवेक्षण के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण के नियमों द्वारा विहित रीति से तैयार और प्रकाशित की जायेगी।

[(2–क) उपधारा (2) के निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानीय निकाय) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी होंगे जैसा राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, इस निमित्त नाम–निर्दिष्ट या पदाभिहित करें।

[(2–ख) निर्वाचक नामावली के प्रकाशन पर यह इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किये गये किसी परिवर्तन, परिवर्धन या उपान्तर के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम के अनुसार कक्ष के लिये तैयार की गयी निर्वाचक नामावली होगी।

(3) इस अधिनियम में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली तैयार करने के प्रयोजन के लिये तत्समय प्रवृत्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये तैयार की गई निर्वाचक नामावली को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपना सकता है जहाँ तक उसका सम्बन्ध इस कक्ष के क्षेत्र से हो;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली में ऐसे कक्ष के निर्वाचन के लिये नाम निर्देशन के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व किसी संशोधन, परिवर्तन या शुद्धि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

/kkjk&12x fuokpdk d fy, vgrk&धारा 12–घ और 12–ङ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाये, पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और जो कक्ष के क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी हो, कक्ष की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा –

स्पष्टीकरण – (i) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण कि कक्ष के क्षेत्र में उसका किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा है, यह न समझ लिया जायेगा कि वह उस कक्ष के क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(ii) अपने मामूली निवास–स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण यह न समझा जायेगा कि वह वहाँ मामूली तौर से निवासी नहीं रहा।

(iii) संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में कक्ष के क्षेत्र से अनुपस्थित रहने मात्र के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी होने से परिविरत नहीं समझा जायेगा।

(iv) यह विनिश्चय करने के लिये कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी समझा जाये या न समझा जाये, किन्हीं अन्य तथ्यों पर, जिन्हें विहित किया जाये, विचार किया जायेगा।

(v) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति मामूली तौर से कहाँ का निवासी है तो उस प्रश्न का अवधारण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश में किया जायेगा।

/kkjk&12?k fuokpd ukekoyh e jftLVhdj.k d fy, vugrk,& (1) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अनर्ह होगा, यदि वह –

(एक) भारत का नागरिक न हो; या

(दो) विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो; या

(तीन) निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिये तत्समय अनर्ह हो।

(2) जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के पश्चात उपधारा (1) के अधीन अनर्ह हो जाये, उसका नाम उस निर्वाचक नामावली से तत्काल काट दिया जायेगा जिसमें वह दर्ज है –

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति के नाम को जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण निर्वाचक नामावली से काट दिया गया हो उस नामावली में तत्काल फिर से रखा दिया जायेगा, यदि ऐसी अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है।

/kkjk&12³ jftLVªhdj.k dsoy ,d d{k esa gksxk – (1) कोई व्यक्ति एक से अधिक कक्ष की निर्वाचक नामावली में, या एक ही कक्ष की निर्वाचक नामावली से एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार न होगा।

(2) कोई व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा, यदि उसका नाम किसी नगर, अन्य नगर पालिका क्षेत्र, छावनी या ग्राम पंचायत का क्षेत्र, से सम्बन्धित किसी निर्वाचक नामावली में दर्ज हो, जब तक कि वह यह दर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से काट दिया गया है।

/kkjk&12p (1) जहाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का चाहे उसको दिये गये किसी आदेश पत्र पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जाँच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, यह समाधान हो जाए कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिये या रजिस्ट्रीकरण के लिये हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्धन किया जाना चाहिये वहाँ वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अधीन रहते हुये, किसी प्रविष्टि का, यथास्थिति निष्कासन, सुधार या परिवर्धन करेगा –

परन्तु ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्धन, कक्ष के किसी निर्वाचन के लिये नामांकन देने के अंतिम दिनांक के पश्चात् और इस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह भी कि कोई सुधार या निष्कासन जो किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो उसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा।

(2) निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित करने, निष्कासित करने या सुधार करने के सम्बन्ध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी आदेश के विरूद्ध अपील ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को, जिसे नियमों द्वारा विहित किया जाये, प्रस्तुत की जायेगी।

/kkjk&12N fuokpd ukekoyh dk iqujh{k.k&राज्य निर्वाचन आयोग, यदि वह सामान्य या उप–निर्वाचन के प्रयोजन के लिये ऐसा करना आवश्यक समझे किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली का ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, पुनरीक्षण करने का निर्देश दे सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये, कक्ष की निर्वाचक नामावली, जैसी कि वह कोई ऐसा निदेश दिये जाने के समय प्रवृत्त बनी रहेगी, जब तक कि इस प्रकार निदेशित पुनरीक्षण पूरा न हो जाये।

/kkjk&12 t fuokpd ukekoyh lEcU/kh vkns'k– जहाँ तक निम्नलिखित में से किसी के सम्बन्ध में इस नियम यातद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा उपबन्ध किया जाये, राज्य निर्वाचन आयोग नामावलियों से सम्बद्ध निम्नलिखित विषयों के बारे में, आदेश द्वारा उपबन्ध बना सकती है, अर्थात्–

(क) दिनांक जिस पर इस अधिनियम के अधीन प्रथमतः तैयार की गयी और तत्पश्चात् तैयार की गयी निर्वाचक नामावलियॉ प्रवृत्त होंगी और उनके प्रवर्तन की अवधि;

(ख) सम्बन्धित निर्वाचक के आवेदन पत्र पर निर्वाचक नामावली में किसी वर्तमान प्रविष्टि को ठीक करना;

(ग) निर्वाचक नामावलियों में लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी त्रुटियों को ठीक करना;

(घ) निर्वाचक नामावलियों में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित करना –

(एक) जिसका नाम कक्ष से सम्बद्ध क्षेत्र की विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो किन्तु उस कक्ष की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हो या जिसका नाम गलती से किसी अन्य कक्ष की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कर लिया गया हो; या

(दो) जिसका नाम इस प्रकार की विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हो किन्तु जो कक्ष की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अन्यथा अर्ह हो।

(ङ) [* * *] निरसित।

(ङङ) नाम सम्मिलित करने या निकालने के लिये आवेदन पत्रों पर देय फीस;

(च) निर्वाचक नामावलियों की अभिरक्षा और उसका परिरक्षण ; और

(छ) सामान्यतया ऐसे सभी विषय जो निर्वाचक नामावली तैयार करने और प्रकाशित करने से सम्बद्ध हों।

पी0एस0यू0पी0-39 निर्वाचन-29.5.2016-5000 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।